کہنا ہے کہ پریس ہو یا ریڈیو ہو یا
کوئی نیوز ایجنسی ہو وہ دیش کی
خدمت نہیں کرتی ہے - یہ غلط
فہمیاں دیش میں کشمیر کے بارے
میں ڈلیوریٹلی پیدا کرنے کی کوشش
کی جا رہی ہے - بلکہ اگرچہ سمجھا
جائے کہ دو آدمیوں نے شراب کے
خلاف بات کی تو اگر وہ پرو پاکستانی
ہیں تو پھر ہم سب پرو انڈین
شرابی ہیں - میں اس بات کو
نہیں سمجھتا ہوں اس لئے میں
اس ہاؤس کے اوپر اور آپ کے توسط
سے یہ سارے دیس کو بتانا چاہتا
ہوں کہ ایسی کوئی قیامت وہاں
نہیں ٹوٹی ہے - دو آدمیوں کے
درمیان تو تو میں میں ہوئی اور
اتنا بڑھا چڑھا کر پریس میں کہا
گیا جیسے خدا نخواستہ کشمیر میں
طوفان برپا ہو گیا ہو - تو ہم
اس کی تردید کرتے ہیں - کیونکہ
یہ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں -
اس لئے میں اس غلط فہمی کو
دور کرنا چاہتا ہوں -

ANNOUNCEMENT RE.—GOVERNMENT BUSINESS

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI KALP NATH RAI): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 15th March, 1982, will consist of:

1. Further discussion on the General Budget for 1982-83.

2. Consideration and return of the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1982, as passed by Lok Sabha.

3. Consideration and passing of the Major Port Trusts (Amendment) Bill, 1981.

4. Consideration and return of the Appropriation Bill, 1982, as passed by Lok Sabha.

श्री उपसभापति : सदन की कार्यवाही ढाई बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

The House then adjourned for lunch at thirty-six minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-five minutes past two of the clock, **The Vice-Chairman (Dr. Rafiq Zakaria)**, in the Chair.

RESOLUTION RE. PROMOTION OF ETHICAL VALUES TO WEAKEN FORCES OF HATRED AND VIOLENCE.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Mr. Ramakrishna Hegde. Not present. Shri Surendra Mohan, to move his Resolution.

श्री सुरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, आप की अनुमति से मैं अपना प्रस्ताव पेश कर रहा हू

"This House—

expresses its deep anxiety at the growing social tensions resulting from sectional loyalties based on caste or religion and at the spate of incidents of social violence in certain parts of the country;

is of the opinion that one reason for this phenomenon is the resistance put up by those entrenched in the 'status quo' against the assertion by the downtrodden and the dispossessed to seek personal dignity and social and economic equality;

affirms and supports such assertion by these sections which is in the direction of the cherised goals and of our people;

believes that structural changes in the present socio-economic system towards establishment of egalitatianism, full employment and social security and also in the power structure to distribute effective power to Panchayat Raj institutions are important means to strengthen the forces of social har-

[श्री सुरेन्द्र मोहन]

money and weaken those of social hatred and violence;

further believes that firm and concerted action by the more conscious groups among the more affluent in support of this assertion is a national obligation and that Government, political parties, mass organisations of weaker sections, academic organisations and other voluntary groups have special responsibility in this behalf; therefore

recommends that Government should evolve concrete steps to promote the interests of the downtrodden sections and foster values of liberalism, rationalism and pluralism in order to weaken the processes and forces of hatred and violence."

उप-सभाध्यक्ष महोदय, पिछले कई वर्षों से बराबर हमारे देश में इस प्रकार की घटनाएं होती जा रही हैं जिनसे पूरे राष्ट्र में एक बेचैनी पैदा हो गई है। कहीं यह झगड़ा हो गया, कही यह सुनने में आता है कि किसी एक जाति के कारण सुनने को मिलता है कि वह हरिजन है या आदिवासी है इसलिये उसके घरों को जला दिया गया, या उसके खिलाफ हिंसा हो गयी और कहीं हिन्दू और मुसलमानों के दंगों की बात भी सुनने को मिलती है और कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा है कि हमारा जो पुराना ढांचा था, जो हमारा पुरानी सामाजिक व्यवस्था थी उसमें इतना तनाव पैदा हो गया है कि उस सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखना, सम्भाल कर रखना ज्यादा से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। यह जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं उन परिस्थितियों के पीछे क्या है? उन परिस्थितियों को हम सही कैसे बना सकते हैं, यह एक ऐसी चीज है जिस पर सारे राष्ट्र का ध्यान लाना बहुत जरूरी है। लेकिन जब तक हम इस बात का फैसला नहीं करते कि आखिर यह घटनाएं बढ़ती क्यों जा रही हैं, पूरे राष्ट्र की चिंता के बावजूद हम उन घटनाओं को रोक क्यों नहीं पाते, उनको घटा क्यों नहीं पाते, तो यह सोचना पड़ता है कि आखिर रोग क्या है और उसका निदान क्या है। बीमारी क्या है और उसकी तप्तीश क्या है और उसका इलाज क्या है, यह सोचना पड़ता है। यह देश सदियों से और शताब्दियों से एक ऐसा देश रहा है जिसमें सामाजिक व्यवस्था में ही बुनियादी तौर पर एक विषमता छिपी हुई थी। यह विषमताओं के आधार पर, इनइक्वलिटीज के आधार पर बनी थी और वह विषमता भी ऐसी थी कि उस विषमता को धर्म के आधार पर, नियति के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर पुष्ट किया गया और यह समझा गया कि इन विषमताओं का रहना ही पुण्य का काम है। यह विषमतायें पुनीत हैं, पवित्र हैं, और इसलिये यदि किसी ने उनके खिलाफ आवाज उठानी चाही तो लोगों ने कहा कि यह धर्म के खिलाफ आवाज उठाता है और न केवल धार्मिक व्यवस्था ने बल्कि पूरी सामाजिक व्यवस्था ने राजकीय व्यवस्था ने ऐसे लोगों को दबाने की कोशिश की। यह आज की बात नहीं है। यह बात सदियों से हिन्दुस्तान में चलती चली आ रही है। इसके बावजूद हिन्दुस्तान में बहुत से लोग ऐसे रहे हैं कि जिन्होंने प्रयत्न किया। महात्मा बुद्ध का नाम सब लोगों को मालूम है। कबीर का नाम और नानक का नाम भी लिया जाता है, जिन लोगों ने कहा कि इस सामाजिक व्यवस्था को बदलना बहुत जरूरी है, विषमता को समाप्त करना जरूरी है और समाज में जहां कहीं भी ऊंच-नीच का भेद पैदा होता है, जहां हेय और ऊंचे की बात पैदा होती है, अवतर और कमतर की बात पैदा होती है उसको मिटाने की जरूरत है। उन लोगों ने तलवार उठा कर विरोध किया। उन लोगों ने पूरे समाज को शिक्षा देने की, बदलने की कोशिश की, लेकिन कहीं न कहीं ऐसी जरूरत हुई है कि हिन्दुस्तान में आज से एक हजार साल पहले हुई है या

500 साल पहले हुई है और आज भी बनी हुई है कि जब लोगों ने महसूस किया कि उन को ज्यादा समानता के लिये जो भी तरीका अख्तियार करना पड़े वह करेंगे। बुद्ध और कबीर की बात जाने दीजिये। अगर भक्तिमार्गी सन्तों की भी बात ली जाय तो उन्होंने इस बात की कोशिश की कि पूरे समाज में ऐसी भावना पैदा हो कि विषमता नहीं होनी चाहिये। और हर एक इंसान को इंसान मानना चाहिए। लेकिन यह दासता का कलंक, जो इस नाम पर एक नया जुल्म ढाया जा रहा था, टूट नहीं रहा था बल्कि ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। उसके साथ-साथ यह होने लगा कि बाहर से काफी लोग आये और उन लोगों ने भी हमारे समाज पर अपना असर डाला। अगर यह समाज खुला समाज होता, अगर यह समाज उदारता पूर्ण समाज होता, अगर उसमें इस प्रकार की विषमता न होती, इस प्रकार की कट्टरपन्थी न होती तो बाहर से आने वाले लोगों का उसमें समावेश हो जाता। वह समावेश हुआ नहीं। उसके कारण साम्प्रदायिक कटुता इस देश में बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। उसके बाद जब हिन्दुस्तान गुलाम हुआ तो उसके साथ-साथ हमारा पूरा आर्थिक ढांचा भी टूटने लगा, हर छोटा उद्योग खत्म होने लगा। जो शहरों में रहते थे उनको धकेल कर गांव में भेज दिया गया। जमीन जितना बोझ बर्दाश्त कर सकती थी उससे ज्यादा बोझ उस पर लाद दिया गया। नतीजा यह हुआ कि पहले ही जो सामाजिक विषमता थी और ज्यादा हो गयी और आर्थिक ढांचा पूरी तरह टूटने लगा। जो हमारे विकास की प्रक्रिया थी उस पर भी एक ऐसी छत डाल दी गयी कि वह प्रक्रिया भी अवरुद्ध होने लगी, टूटने लगी। अंग्रेजों का राज्य आने के बाद हमारी राजनैतिक स्वतंत्रता खत्म हो गयी हमारा आर्थिक ढांचा टूट गया। सामाजिक व्यवस्था में और ज्यादा कशमकश पैदा हो गयी और तब से ले कर ऐसी हालत पैदा हो गयी कि हमारा समाज बनने के बजाय बिगड़ता चला गया। इस हालत में ऐसे लोग भी पैदा हुए जिन्होंने सामाजिक व्यवस्था में विषमता को खत्म करके समता को पैदा करने का प्रयास किया। आगरकर की बात याद आती है, फूले का नाम सब लोग जानते हैं, शंकरदेव की बात कही जा सकती है। ऐसे लोगों ने कोशिश की कि हमारी सामाजिक व्यवस्था में समता आये। महात्मा गांधी, स्वामी दयानन्द सरस्वती के नाम याद आते हैं। महात्मा गांधी ने हिम्मत के साथ, दिलेरी के साथ इस सवाल को उठाया। उन्होंने न सिर्फ हिन्दुस्तान की आजादी की बात कही, उन्होंने न सिर्फ हिन्दुस्तान की सियासी आजादी की बात कहीं, उन्होंने हिन्दुस्तान की आर्थिक आजादी की बात भी कही। उन्होंने हिन्दुस्तान में सामाजिक बराबरी की बात भी कही, और गांधीजी के जमाने में जो स्वतन्त्रता का आन्दोलन चला उस आन्दोलन में न केवल यह कहा गया कि हम अंग्रेजों से आजाद होना चाहते हैं बल्कि यह कहा गया कि अगर काले अंग्रेज हिन्दुस्तान में आ गये, अगर लूट खसोट करने वाले हिन्दुस्तान में बढ़ गये, अगर ऊंच-नीच की बात हिन्दुस्तान में बढ़ गयी तो वह नहीं चलेगा, दरिद्र नारायण की बात चलेगी, अन्त्योदय की बात चलेगी। इसीलिये जब हमारा संविधान बना, हमारे संविधान में बराबरी की बात कही गयी, हमारे संविधान में सामाजिक बराबरी की बात कही गयी, आर्थिक बराबरी की बात कही गयी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले तीस वर्षों में हम कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं कर पाये। कोशिश यह थी कि आजादी की लड़ाई के दौरान हिन्दुस्तान के लोगों के दिलों में जो अरमान थे, जो आकांक्षा थी उनको हम अपनी नीतियों में जाहिर करें। अपनी नीतियों में हम उन आकांक्षाओं को जाहिर नहीं कर पाये और आज ऐसा नतीजा

[श्री सुरेन्द्र मोहन]

हमारे सामने है कि सामाजिक व्यवस्था और ज्यादा टूटने लगी है। आर्थिक तौर पर हम ऐसा ढांचा बना रहे हैं जो ज्यादा गरीब थे वे और ज्यादा गरीब हो गये हैं। सियासी तौर पर हम यह देखते हैं कि सत्ता बिखर नहीं रही है, सत्ता विकेन्द्रित नहीं हो रही है, सत्ता केन्द्रित होती जा रही है। ऐसा मालूम होता है कि जो अमीर थे वह ज्यादा अमीर हो गये, जो ऊंची जातियों के बड़े अफसर थे या जो ज्यादा सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाले लोग थे और ज्यादा सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त कर गये और जिन के पास राजनैतिक सत्ता थी वह और ज्यादा राजनैतिक सत्ता को हासिल कर गये। तीनों एक साथ मिल रहे हैं। पूरा समाज उससे कहीं ज्यादा विषमता का शिकार हो गया है जितना 1947 में था। यही एक कारण है। जितनी सामाजिक हिंसा जितनी घृणा 1947 में हमको देखने को मिलती थी, 1930 में देखने को मिलती थी, 1970 में, 1975 में, 1980 में और 1982 में, बराबर उससे ज्यादा बढ़ती जा रही है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसमें किसी पार्टी की बात है। न मैं यह कह रहा हूं कि किसी सरकार की गलती है। पूरे देश की ऐसी नीति रही कि उसमें सरकार भी जिम्मेदार है, पोलिटिकल पार्टीज भी जिम्मेदार हैं। लेकिन पूरे देश की ऐसी नीति बरती चली गई जिसके कारण विषमता बढ़ी। उस नीति के कारण घृणा बढ़ी, नीति के कारण अत्याचार बढ़े और अत्याचार इतने बढ़े कि पूरा समाज टूटने के कगार पर है। इसलिये हम को यह फैसला करना पड़ेगा कि देश के तौर पर, समाज के तौर पर आखिर कौन सा रास्ता अपनाया जाये जिससे इस तस्वीर को बदला जा सके।

उपसभाध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले मुझे आदिलाबाद जाने का मौका मिला। अगस्त, 80 में कुछ खान मजदूर जो आदिवासी हैं उन्होंने अपनी मीटिंग करने की कोशिश की। बहरहाल वहां गोली चलाई गई। इन्दरवली एक जगह है। कोई कहता है 15 आदमी मरे और कोई कहता है 20 आदमी मरे। वे आदिवासी लोग वहां धार्मिक मेले में गये थे—कासलापुर भी मुझे जाने का मौका मिला। जब मैं वहां गया तो इस बात के बावजूद कि मैं इस सदन का सदस्य हूं, हमने पुलिस और सरकार को इस बात की सूचना दी फिर भी किसी व्यक्ति को हमसे मिलने नहीं दिया गया। इसलिये नहीं मिलने दिया गया क्योंकि वे अपने दुखदर्द की कहानी कहना चाहते थे। दुखदर्द की कहानी इसलिये ज्यादा दर्दनाक है क्योंकि उन पर पुलिस का अत्याचार हुआ है और जो जंगलात महकमे के अफसर हैं वे वहां मिलकर उनकी जमीनों को खत्म कर रहे हैं। इसलिये दुखदर्द की कहानी और ज्यादा दर्दनाक बन गई। एक दिन मुझे पलामू जाने का मौका मिला। यह भीष्मनारायण सिंह जी का जिला है। मैंने वहां देखा कि जो वहां का जमींदार है, सामन्त है वह एक राजा है। वही राजा बिहार सरकार का मंत्री भी हो गया। हालत यह है कि जिसके पास जमीन थी उसके पास जमीन नहीं रही। जो आजादी की सांस ले रहे थे वे आजादी की सांस नहीं ले सकते थे। ऐसी हालत पैदा हो गई थी। पलामू और आदिलाबाद की बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं। आज जिस देश में बराबर अत्याचार होते हैं, जिस देश में बराबर विषमता होती है उस देश में सामाजिक हिंसा बढ़ती ही है। और सामाजिक हिंसा के बढ़ने से वह देश टूटने लगता है। आज एक नई परिस्थिति पैदा हो गई है कि जिन लोगों ने यह फैसला किया कि हम इस सामाजिक अन्याय को मंजूर नहीं करेंगे, जिनके मन में आकांक्षा पैदा हो गई; कि आप हिन्दुस्तान की आजादी की बात करते थे तो हम को

की आजादी चाहिये, आप लोकतंत्र की बात करते थे तो हमें भी वोट देने का अधिकार चाहिये, बराबरी की बात करते थे, समाजवाद की बात करते थे, आर्थिक बराबरी की बात करते थे तो हम को भी यह सब बराबरी चाहिये। जब वह यह कहते है कि बराबरी चाहिये तो यह भी मांग करते हैं कि बदलो, सारी परिस्थिति को बदलो। इसके लिये वे अपना सिर उठाते हैं। जिनके पास शक्ति है, जिनके पास दौलत है वही उल्टे उनका सर उठाने नहीं देते उनका सर कुचलने की साजिश करते है, उनका सर कुचलने केलिए हर किस्म की हिंसा करते हैं। जब इस प्रकार की हिंसा करते हैं तो कुचले गये हैं, जो कुचले जा रहे हैं वे कराहते हैं, रोते हैं, कहते हैं कि हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जो समाज में हिंसा चलती है उसका एक पहलू यह भी है। जो लोग पहले दमन को मंजूर करते थे, गरीबी को मंजूर करते थे, कहते था कि भाग्य ने हम को दिया, अब वे यह मंजूर करने को तयार नहीं हैं। आज वे कहते हैं कि आपने अपने संविधान में लिखा है कि सामाजिक बराबरी मिलेगी। आपने अपने संविधान में लिखा है कि पंचायत के लोगों को अपने भाग्य का निर्णय करने का अधिकार मिलेगा। सिर्फ दिल्ली में बैठकर सत्ता का फैसला नहीं करेंगे, लखनऊ में बैठ कर सत्ता का फैसला नहीं करेंगे, पटना में बैठ कर सत्ता का फैसला नहीं करेंगे बल्कि हर गांव की पंचायत यह फैसला करेगी। ब्लाक समिति यह फैसला करेगी कि हमारे विकास का रास्ता कौन सा है। हम अपने विकास के लिये कौन सा रास्ता निकल सकाते हैं। वे आज मांग करते हैं कि हम को यह अधिकार मिलना चाहिये। लेकिन उनको यह अधिकार मिल नहीं रहा है। उनसे अधिकार छीना जा रहा है।

हम भूमि सुधार की बात करते हैं। भूमि सुधार की जब तस्वीर हमारे सामने आती है तो 1961 में वे सब लोग तो खेती करते थे उनमें से 16 प्रतिशत के करीब लोग भूमिहीन थे। 1971 की मर्दमशुमारी में बताया गया कि उनकी तादाद 25 परसेंट से ज्यादा हो गई। 1981 की जनगणना में उनकी संख्या, 1961 में जो 16 परसेंट थी उससे बढ़कर 31 परसेंट से ज्यादा हो गई। यानी दो गुना ज्यादा हो गई। हम बात करते हैं भूमि सुधार की। भूमि सुधार का मतलब यह होता है कि जिनके पास पहले जमीन थी उनकी जमीन छिनती रही है। दुर्भाग्य से ये वही लोग हैं जो हमारी सामाजिक व्यवस्था में सबसे नीचे के लोग हैं सबसे ज्यादा शोषित लोग हैं। जिनके पास जमीन थी उनकी जमीन छिनती जा रही है। जरा इनकी कल्पना कीजिए जो छोटे उद्योग धंधे करते थे, जो कुटीर उद्योग धंधे करते थे उनके कुटीर उद्योग धंधे खत्म हो रहे हैं। क्योंकि हम हर क्षेत्र में बड़े उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन देते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले कुटीर उद्योगों के नाम पर, छोटे उद्योगों के नाम पर, उद्योग धन्धों को आरक्षण दिया गया था, लेकिन अब उनको डिर-रजिस्टर कर दिया गया है। यह नीति अपनाई जा रही है। कुटीर उद्योग चाहे न बढ़ें, दम तोड़ दें, लेकिन ऊंचे उद्योगों को, बड़े उद्योगों को बराबर बढ़ना चाहिये। जिनके पास थोड़ी-थोड़ी जमीन है, जो सीमान्त किसान है,

वे भूमिहीन किसान बनते जा रहे हैं और जो छोटे किसान हैं वे निराश्रित किसान बनते जा रहे हैं। छोटे उद्योग धन्धे खत्म होते चले जा रहे हैं और छोटे उद्योग धन्धे चलाने वाले लोग बेरोजगार बनते जा रहे हैं। पूरे समाज में जिन के पास पहले धन था वे ज्यादा धनी हो गये थे, जिनके पास शक्ति थी उनके पास ज्यादा शक्ति हो गई है। जिनके पास ज्यादा प्रतिष्ठा थी उनके पास ज्यादा प्रतिष्ठा हो गई है और इसका नतीजा यह है कि केन्द्रीकरण ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जा रहा है, पूंजीवाद ज्यादा से ज्यादा कठोर बनता चला जा रहा है और हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था टूटती चली जा रही हैं। इस नीति का नतीजा यह है कि हमारे सामने विषमता ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही है, केन्द्रीयकरण ज्यादा से ज्यादा उग्र होता जा रहा है और वह हमारे पूरे समाज को बेदर्दी से अपने हाथों से तबाह करता जा रहा है। यह रास्ता देश को आगे बढ़ाने वाला रास्ता नहीं है। यह हमारे देश को तबाह करने वाला रास्ता है। मैं आप से यह दर्खास्त करूंगा कि अगर हमको इस देश को इकट्ठा करना है और यह सोचना है कि अपने समाज की एकता को कैसे बरकरार रखना है और यह सोचना है कि इंसानों को वह हक मिलें जो हक हमारे संविधान ने उन्हें दे रखे हैं और वे हक जिनके आधार पर हम लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, वे हक जो समाजवाद में सब को मिलते हैं और मिलने चाहिये, अगर वे हक आपने लोगों को देने है तो आपको अपना वर्तमान रास्ता बुनियादी तौर पर पूरी तरह से बदलना होगा और ऐसे बदलना होगा कि अगर उसमें कहीं किसी तरह की कमी की गुंजाइश हो तो उसको बदलना होगा। वह रास्ता यह नहीं हो सकता है कि हमारे समाज में विषमता ज्यादा से ज्यादा बढ़ती चली जायें। यह रास्ता समाज में समता को बढ़ाने वाला रास्ता हो सकता है। वह रास्ता यह नहीं हो सकता है कि सत्ता का ज्यादा से ज्यादा केन्द्रीयकरण हो। वह रास्ता सत्ता के विकेन्द्रीयकरण को बढ़ाने वाला रास्ता हो सकता है। वह रास्ता बेरोजगारी बढ़ाने वाला रास्ता नहीं होगा, बल्कि वह रास्ता ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला रास्ता होगा। इसलिए मैं आप से दर्खास्त करता हूं कि आप अपने रास्ते को बदलिये और जब आप इन रास्तों को बदलने की कोशिश करेंगे तो उससे हर एक को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी, हर एक को रोजगार मिल सकेगा और जाति के नाम पर जो जुल्म किये जाते हैं उनको खत्म किया जा सकेगा। हमारी नीति ऐसी होनी चाहिये कि समाज में सब को प्रतिष्ठा मिले, सब जातियों को बराबर के हक मिलें। परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है। यह इसलिए नहीं हो रहा है, कि जिनके पास हर प्रकार की सत्ता है उनकी सत्ता बढ़ती जा रही है। समाज में जो लोग प्रतिष्ठा वाले हैं या जो धनी हैं वे गरीबों को तेजी के साथ दबाते जा रहे हैं और हर क्षेत्र में तानाशाही बढ़ती जा रही है। यह सिर्फ राजनैतिक तानाशाही का ही सवाल नहीं है, धनिकों और सामाजिक प्रतिष्ठा वालों की तानाशाही भी बढ़ाती जा रही है। जब इस प्रकार की तानाशाही बढ़ती जाती है तो वह लोग जो ऊपर उठना चाहते हैं उनको खत्म करने की कोशिश की जाती है, उन पर प्रहार किया जाता है। जिनके पास सब कुछ है उनके बराबर गरीब लोग उड़ान तो नहीं भर सकते हैं, लेकिन उनके सामने भी कठिनाई पैदा हो जाती है। इसलिए समाज में नीचे के स्तरों

पर लड़ाई जारी हो गई है। जिनके पास कुछ है, वे उनसे लड़ते हैं जिनके पास कुछ नहीं है या जो गरीब हैं, उनके साथ लड़ाई होती है। जो कम गरीब हैं वे अपने से भी कम गरीबों से लड़ते हैं। इसके विपरीत जो अमीर लोग हैं, जो शक्तिशाली और शक्ति सम्पन्न हैं वे आराम से गुलछर्रे उड़ा रहे हैं और देश को लूट रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि गरीब हिन्दू और गरीब मुसलमान आपस में लड़ते हैं, गरीब ईसाई और गरीब हिन्दू आपस में लड़ते हैं। एक आदिवासी गैर-आदिवासी से लड़ता है और जो छोटे किसान हैं वे भूमिहीनों से लड़ते हैं। इसको जातिवाद का नाम दिया जाता है या वर्गवाद का नाम दिया जाता है। लेकिन इन सब का कारण यह है कि हमने उद्देश्य के तौर पर समता की लड़ाई लड़ने के बजाय समानता के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, हमने केन्द्रीयकरण के खिलाफ लड़ने के बजाय, महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने के बजाय, उस रास्ते को खत्म करने का फैसला किया। क्योंकि हमने ऐसा फैसला किया है, इसलिये सामाजिक तनाव बढ़ते हैं, क्योंकि हमने फैसला किया इसलिये समाज में टूट बढ़ती जा रही है। इसलिये मै आपसे दरख्वास्त करता हूं कि यही मेरा प्रस्ताव है। हमको अपने रास्ते को बदलना होगा, एक राष्ट्र के तौर पर अपना रास्ता बदलना होगा और अपना रास्ता बदलकर ज्यादा समता की बात को पैदा करना होगा। ज्यादा समता के साथ-साथ ज्यादा रोजगार को जोड़ना है। ज्यादा रोजगार के साथ-साथ राजनैतिक समता के सवाल को, राजनैतिक विकेन्द्रीकरण के सवाल को जोड़ना होगा। आर्थिक समता, सामाजिक समता और राजनैतिक समता इनको विभाजित नहीं किया जा सकता। आजादी की तरह समता भी अविभाज्य है, इंडीविजुअल है और इसको विभाजित करके किसी तरह का न्याय पैदा नहीं कर सकते। इसलिये, उपसभाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं और सरकारी पार्टी से दरख्वास्त करता हूं कि मेरा प्रस्ताव ऐसा नहीं है जिस पर बहुत ज्यादा विरोध की गुंजाइश हो। यह ऐसा प्रस्ताव है जो राष्ट्रीय अरमान और राष्ट्रीय आकांक्षा जाहिर करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इसको मंजूर करेगी।

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): The Business Advisory Committee has allotted 2½ hours to this Resolution. The mover has already taken 30 minutes, and the Minister has to be given 30 minutes for his reply. That leaves 1½ hours and there are 8 Members desirous of participating in this discussion. So I would request Members to confine themselves to about 10-12 minutes, if possible.

SHRI SADASHIV BAGAITKAR (Maharashtra): Would the Minister require 30 minutes?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Well, that is according to the Rules, Mr. Bagaitkar. But he can give part of his time to you, I have no objection.

श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, सुरेन्द्र मोहन जी ने इस प्रस्ताव को ला करके इस सदन में एक चर्चा करने का अच्छा मौका दिया, अच्छा अवसर दिया। मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

श्रीमन्, उनके प्रस्ताव के तीन पहलू हैं। पहला है सामाजिक पहलू। जो समाज की विकृतियां है, जो कास्टिज्म फैल रहा है, समाज के अन्दर जो आपस में विरोधा-

[श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय]

आम हो रहा है, समाज में जो विषमी परिस्थिति पैदा हो रही है, एक तो यह पहलू है। दूसरा पहलू उनका श्रीमन्, राजनैतिक पहलू है और इसके साथ-साथ जुड़ा हुआ आर्थिक पहलू भी है। इसका विकल्प क्या है? उन्होंने कहा कि इसका विकल्प होना चाहिए कि ग्रामीण स्तर पर जो हमारी पंचायत समितियां हैं, उन समितियों को कारगर बनाया जाये, उपयोगी बनाया जाये, जिससे कि हम इन विषमताओं को दूर कर सकें। श्रीमन्, इसके पीछे एक बड़ा इतिहास है। यदि हम सामाजिक इतिहास के अन्दर जायें तो हजारों साल का एक इतिहास है और इस इतिहास में श्रीमन्, हमारे बड़े-बड़े जो समाज सुधारक हैं, जिनको हमारे देश और हमारे समाज का सम्मान मिला है, उनकी कृतियों का हमें वर्णन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर उसके पहले हम जायें तो मनुष्य सृष्टि कहां से उत्पन्न हुई, कैसे मनुष्य ने समाज में आकर सामाजिक स्तर प्राप्त किया, इस तरह जाये तो श्रीमन्, हमें उस महाकवि की किताबों का भी अध्ययन करना पड़ेगा और उनको देखना पड़ेगा जिसको महापंडित राहुल सांस्कृतायन के नाम से पुकारते हैं। श्रीमन्, जब पंडित राहुल सांस्कृतायन की किताबों की तरफ हम दृष्टिपात करते हैं तो ऐसे जो वर्ण व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था बनी है उसमें ऐसा होता था कि कहां से इंसान पैदा हुआ, किस तरह से वह रहता था, क्या उसके प्रारम्भिक आचार-विचार थे और उसके बाद श्रीमन्, आज की स्थिति में जब हम आते हैं तो उसके बाद बहुत से लोग हमारे बौद्ध धर्म को मानने वाले, जैन धर्म को मानने वाले, हमारे उपनिषदों को लिखने वाले, हमारे शास्त्रों को लिखने वाले विद्वान थे। यह जो वेद और उपनिषद की बात आ जाती है इसके बीच में मैं पड़ना नहीं चाहता। इसलिये श्रीमन्, कुछ ऐसे विषय हो गये जिन पर समाज के बदले हुए स्वरूप को देखते हुए यदि हम विचार करेंगे तो अपने समय में जिस तरह की संस्कृति बनाई गई थी जिस तरह की पद्धतियां बनाई गई थीं उन

3 P.M. पद्धतियों में एक तर्क था एक संकल्प था। उस समय और उस जमाने के मुताबिक चलने के लिए जो भी उनके रीति-रिवाज बनाए गये थे उनमें ऐसा था जिससे कि समाज को काफी बल मिलता था और उस समय के समाज को बल मिलता था। जब हमारे आज के समाज के बनाने वाले उन समाजों की रचनाओं का विवेचन करते हैं तो यह भूल जाते हैं कि हम उस समय किस स्थिति में थे किस स्थिति और किन परिस्थितियों में लोगों ने समाज की रचना और उसके एक सिद्धांत को अपने सामने रखा और आज हम किन परिस्थितियों में, 1990 के साल में आए हुए हैं, किन परिस्थितियों में से गुजर रहे है। बड़ा विरोधाभास होता है। समाज ज्यों-ज्यों बनता गया ज्यों-ज्यों उसकी रचना होती है, ज्यों-ज्यों उसका आधुनिकीकरण होता है, त्यों-त्यों समाज की जो बहुत सी कमजोरियां कुरीतियां हैं वे अपने आप नष्ट, भ्रष्ट होती चली जाती हैं और उसके बाद वह नया स्वरूप लेता है

"as the odd order Changeth yeilding place to new"

तो श्रीमन आज इस सिद्धान्त को अगर हम देखें तो हम पाएंगे जैसे मैंने आपसे कहा कि पिछला जो हमारा सामाजिक इतिहास है वह इतिहास का हमारा वर्ग भेद इतिहास है, जो हमारी तमाम किताबें लिखी हुई है जिस पर तमाम ऋषियों मुनियों ने समाज को आकृत किया है उस का अपना एक पीरियड है, समय है। उस समय को ले कर यदि आज के समय से मिलान करें तो मैं समझता हूं श्रीमन् न तो उस समय की हम ठीक तरह से व्याख्या कर पायेंगे न

उन कार्यों को हम ठीक तरह से व्याख्या कर पायेंगे न हम उस समय के समाज की व्याख्या कर पायेंगे हम कनफ्यूजन में पूरे समाज को रख देंगे। इसलिये मैं कहता हूं कि आज की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को पहले की परिस्थिति से हमें हरगिज मेल मिलाप नहीं करना चाहिये उनकी कुरीतियों को दूर करने के लिये हमें आगे बढ़ना चाहिये। समाज ज्यो-ज्यो बदलेगा त्यों-त्यो अपने आप कुरीतियां दूर होंगी। लेकिन श्रीमन् मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं जब मैं राजनीतिक पहलू में आता हूं तो श्रीमन् मैं पाता हूं कि हमारे राजनीतिक नेता हमारे देश में हमारे समाज में, विश्व के दूसरे देशों में आज यदि देखा जाये जो भी सिस्टम हम इस समय अडाप्ट कर रहे हैं उस सिस्टम के अन्दर ही ऐसी भावनाओं से ग्रसित हो जाते हैं कुर्सी के लालच में आज जाति-पाति का सहारा लेकर। आज कोई उसका मतलब नहीं है राजनीति से आज कोई मतलब नहीं है देश के उत्थान से, समाज के उत्थान से लेकिन उसका सहारा लेते हैं। जब सहारा लेते हैं तो उसमें कटुता प्राप्त होती है चाहे वह सहारा आप एक जाति को कहकर लें। मनुष्य की कोई जाति नहीं है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आज कोई दूसरे पशुओं की तरह से उसकी जाति नहीं है लेकिन श्रीमन् एक जमाना था जाति बन गई, जाति प्रथा उस जमाने से चली। अब उसका स्वरूप समाज को बदलना चाहिये लेकिन जब उस जाति को ले कर के और उसके आधार पर हम सब एक राजनीति की रचना करते हैं तो हमें यह समझने में बड़ी दिक्कत हो जाती है आखिर यह जो मनुष्य की जाति है जो एक जाति इन्सानकी जाति है जिसमें जो दबे हुए हो उसको उठाने की बात होनी चाहिये और जिसके पास रोजी रोजगार न हो उसको रोजी देने की बात होनी चाहिये जिससे जो दबा हुआ समाज में होगा आगे आ सके, तो श्रीमन्, उस समय बड़ी ही तकलीफ होती है और मैं समझता हूं जो हमारे प्रस्तावक महोदय हैं या इधर या उधर बैठने वाले है इस बात को वे स्वीकार करेंगे कि इस तरह से तमाम भ्रान्ति पैदा होती है लेकिन हमारे यहां आप जानते हैं कि ओपन सोसाइटी है। हमने अपने देश के लिये अपने विधान की रचना की है हमने जम्हूरियत प्रजातंत्र को अपनी एक इकाई माना है और उसके जरिये हम आज जनता के सामने एक राजनीतिक पार्टी की हैसियत से अपने कार्यक्रमों को ले कर के जाते हैं। और हम यह कहते हैं, हमारा यह दावा है कि यदि हमारी सरकार बनी तो हम यह मैनीफेस्टो यह घोषणा पत्र करते हैं कि हम इस घोषणा पत्र के आधार पर समाज की रचना की करेंगे। उस समय श्रीमन्, जब हम इस विधान को स्वीकार करते हैं, इस परिस्थिति को मानते हैं तो कभी हमारे दिमाग में यह नहीं रहता कि फलां जाति के लिये होगा, फलां धर्म के लिये होगा या यह फलां दूसरे ऐसे कमजोर कौमों के लिये नहीं होगा। लेकिन श्रीमन्, आज हम भारतीय विधान की उन धाराओं को, उन शिक्षाओं को, उस आत्मा को जिसको कि हमारे आज के कांस्टीट्यूशन के बनाने वालों ने जो राजनीतिक अस्त्र हम को दिया है जिस अस्त्र के जरिये हम समाज की रचना करना चाहते हैं, क्या सही मायनों में हम आज अपने दिल से इस बात को स्वीकार करेंगे कि हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन जब हम आते है तो हम देखते हैं कि फलां जाति का आदमी फलां जगह से चुना जाना चाहिये, फलां जाति के लोग फलां जाति कांस्टीटयूएंसी में ज्यादा हैं। इसलिये फलां जाति के आदमी को टिकट देना चाहिये; सारा हमारा जो मूल्यांकन होता है वह मूल्यांकन ना करके एक ऐसी

[श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय]

जगह पर निहित हो जाता है, ऐसे स्वार्थ पर निहित हो जाता है कि जिससे समाज के अन्दर सारी कुरीतियां और बुराईयां पैदा होती हैं। क्या हमारे कांस्टीट्यूशन में, क्या हमारे विधान में आज यह लिखा हुआ है कि हम इस जाति के आदमी को ही फलां जगह से टिकट दें। क्या हमारे किसी भी विधान की धाराओं में जो हमारे विधान के बनाने वाले हैं उन्होंने कहा है कि आदमी टेलेण्टेड है, योग्य है, सेवा करता है, समाज की सेवा करता है एक तरीके से, एक सिद्धांत के मारफत एक पार्टी के उसूलों की मारफत एक कार्यक्रम के अंतर्गत, वह देश को आज बनाना चाहते है। क्या इनके दिल में कभी यह भावना रहती है। लेकिन इस भावना को कौन उभारता है। हम उभारते हैं, आप उभारते हैं, इधर के बैठने वाले, उधर के बैठने वाले उभारते हैं और इससे समाज में गंदगी पैदा होती है, कुरीतियां पैदा होती है, राजनीतिक भ्रष्टाचार इन्हीं से पनपता है और उस भ्रष्टाचार की गंगोत्री बढ़ते-बढ़ते सारे समाज को दुर्गन्धित कर देती है, सारे समाज को एक ऐसी अवस्था में ला करके खड़ी कर देती है कि हम और आप और सभी स्वयं एक दूसरे को समझने लगते हैं कि आज सब लोग इसी तरह से गंदे हैं, संकीर्ण हैं, सब लोग इसी तरह से विचारों की संकीर्णता रखते हैं। श्रीमन्, आज जो हमारा विधान है जिसमें जो हमारे पाये दिये हुए हैं, दिल्ली की पार्लियामेंट, स्टेट्स की असेम्बलीज, जिले की जिला परिषद् और गांव की पंचायत या ग्रामसभाएं ये हमारे आज सही तरीके से पीड़ित है जिसके अंतर्गत हम समाज के उन कमजोर वर्गों की करवट को बदलना चाहते हैं, हम गरीबों के लिये एक अच्छा हिन्दुस्तान एक अच्छा समाज जिस समाज में कोई गरीब न हो, कोई भूखा न हो, नंगा न हो, किसी के पास मकान की कमी न रह जाय, सबको झोपड़ी मिल सके, सबके तन को ढकने के लिए कपड़ा मिल सके, इस सबकी परिकल्पना करते हैं। उन परिकल्पनाओं के अंदर आज जब हम अपने को जातिवाद में फंसा लेते हैं तो हमारी सारी परिकल्पना धूल धूसरित हो जाती है। इसीलिये आज हमारे विधान में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हैं। हमारे विधान के रचियता ने आज किसी तरह हमारे विधान में गड़बड़ी नहीं की। हमारे कार्यक्रमों में जो सरकार चलाती है, कोई गड़बड़ी नहीं है लेकिन हमारा निहित स्वार्थ हमारी तंगख्याली हमारी तंगदिली जो है हम उससे उठकर अपने को आगे नहीं लाते हैं। इसलिये आज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब देश के काम की बात हो, देश के कार्यक्रम की बात हो, देश को बनाने की बात हो तो इसमें हमको आपसी विभेद नहीं रखना चाहिये। भेद नहीं रखना चाहिये। देश तो बनाने के लिये जो आज हमारी सीढ़ियां है और तरीके हैं वे ऐसे होने चाहिये कि जिससे हम देश की रचना जो कर सकें, चाहे विरोध में बैठे चाहे सरकार में बैठे। इस रचना को करने के लिये हमें उन चीजों का अध्ययन करना पड़ेगा और उनको लेकर आगे चलना पड़ेगा। और उसमें अपने समाज को, अपने राजनीतिक भेद-भाव को अलग रख कर, हमें जातीय भेदभाव को अलग रख कर, हमें उन गरीबों के लिये जो आज हमारी तरफ देख रहे है जसे कि आपने कहा, आप जानते हैं कि 55 फीसदी आज ऐसे लोग हैं जो बिलो पावर्टी लाइन हैं, हमें उनकी सेवा करनी है। आज हमारे यहां एक ऐसा दुखित्ता पड़ा हुआ है दक्षिण पूर्वी हिन्दुस्तान का, जहां लोग आज बहुत आशा भरी निगाहों से हमारी तरफ देख रहे हैं। उनके विकास की जरूरत है। आज ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आदिवासी बसते हैं, जहां पर कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं। इनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे क्षेत्रों में जो हमसे बहुत दूर हैं, लेकिन वह हमारी तरफ देख रहे हैं,

हमको आज उनकी मदद करने की जरूरत है। जिससे कि हम उनको आर्थिक स्थिति को सुधार सकें और वह भी समाज मे अपने को समझ सकें कि वे भी समाज के एक अंग हैं।

आज हमारे ऐसे विधायक बनने के बाद ऐसी सरकारों की जो जनमत चुनी हुई सरकारें आने के बाद ऐसा मौका मिला कि हमारे नुमाइन्दों ने अपनी जिम्मेदारी को निबाह करके हमारे दुख में और संकट में आज हमारे साथ आए—(समय की घंटी)

इसलिए मैं चाहता हूं—इस भाव से मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मैं कहता हूं कि जो भी सरकार होगी, वह सरकार कार्यक्रम करेगी और कार्यक्रम आज वाली सरकार कर रही है। उनको उठाना चाहती है। आपसे केवल यह निवेदन है कि आप संकीर्णता को दूर करके, अपने को जाति-पाति के झंझाल से अलग करके इस राजनीति को विशुद्ध राजनीति बनाइये जिससे कि हम उन दुबके हुए लोगों को जो हमारी तरफ देख रहे हैं, उन कमजोर लोगों को हम सही तरीके से आज हम मदद कर सकें, चाहे वह पंचायत की व्यवस्था के जरिए हो, चाहे जिला परिषदों के जरिए हो, चाहे प्रदेश की सरकारों के जरिए हो या केन्द्र की सरकार के जरिए जो एक दूसरे से संबंध हमारी कंस्टीट्यूशन के अंदर—जिससे कि उनको रोटी मिल सके, मकान मिल सके और उनको रोजगार मिल सके और वह समाज में अपने को गर्व के साथ कह सकें कि हम स्वतंत्र समाज के रहने वाले हैं और हम इस समाज को और इस इंसान की पूजा करते हैं और इस पूजा के नाते हम आज सारे समाज को उठाना चाहते हैं। इसमें ऊंच-नीच का कोई सवाल नहीं है। इसमें भेद-भाव का कोई सवाल नहीं है। इसमें सवाल है कार्यक्रमों को कार्यान्वयन करने का और उस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए (समय की घंटी) जो भी सरकार नीति चला रही है, जो भी अपने थोड़े छोटे-मोटे उद्योगों के जरिए या प्रोग्राम्स के जरिए, जो पूरा करना चाहते है, उसको पूरा करने में हम सब आपस में मिल करके आपस में साथ करें, उसका समर्थन करें, उसको आगे बढ़ायें। तभी हम आज सही तरीके से इस प्रस्ताव की भावना को पूरा कर सकते हैं।

मान्यवर, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मैं अपने प्रस्तावक महोदय से चाहता हूं कि—इसको पेश करने के लिए, विचार करने के लिए तो ठीक है, विचार तो आपको करना ही चाहिये, सदन भी विचार कर रहा है, लेकिन प्रस्ताव को वोट पर नहीं रखना चाहिये, बल्कि उसको विचार के बाद विदड्रा कर लेना चाहिये।

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA (Orissa): Mr. Vice-Chairman, Sir, I congratulate Mr. Surendra Mohan for having brought one of the most important Resolutions on matter which is affecting the Indian society and the policy that we have established, and for the opportunity which he has offered. For this Mr. Surendra Mohan deserves our sincere thanks. If you kindly go through the formulation of this Resolution. It would be extremely difficult for any one to differ from whatever has been said by him. We all share his emotions and sentiments. These emotions or sentiments are values of liberalism rationalism and pluralism. The ideals which inspired our national struggle for freedom are already enshrined in the Constitution in Part IV-A, Chapter on Fundamental Duties. As far as the State is concerned, Article 15 makes the position absolutely clear. It says:

[Shri Narasingha Prasad Nanda]

"The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them".

Article 17 has abolished untouchability from this land. The Directive Principles echo the same spirit and sentiment which are expressed by Mr. Surendra Mohan today. Therefore, if you read the Contitution, the reresolution of Mr. Surendra Mohan becomes infructuous because they are already there in the Constitution. When India became a modern State by adopting this Constitution, the citizens of this country took a place of pride by establishing, in the Preamble, justice, social economic and political, equality of status and opportunity and they solemnly resolved to make this country a Socialist Democratic Republic. I am omitting the other words. I am not reading the whole of Preamble. They established egalitarianism. It offered full employment opportunities which we find in Article 39. Right to work is contained in Article 41. Therefore, the ideas which Mr. Surendra Mohan has brought forward in his formulation are already there enshrined in the Constitution. But, then, what is the picture in reality? What we see of these noble ideals is only in the Constitution. They have remained a dead letter. What is important for the growth of human society is the implementation in letter and spirit of the ideas enshrined in the Constitution. I am reminded of two great leaders of this country of recent times. One was Guru Govind Singh who gave a call to the Sikhs and the Sikhs were prepared to die at his call. The other man of whom I remember today is Mahatama Gandhi who gave a call and the people were prepared to suffer, prepared to die. Is there any leadership in the country on whose call people would be prepared to die. On a call given by the present leadership, people would be prepared to accept a membership of the Parliament, would be prepared to take licences or permits to establish industrial or commercial houses, would be prepared to come closer to the corridors of power. Let any leadership in this country give a call to make sacrifices to the people of this country. I am not criticising any particular individual. No individual is in my view. Is there any leader in this country on whose call people would be prepared to die? That is the test of leadership. When Lenin gave the call in the Soviet Union, hundreds and thousands of people were prepared to die. When Ho Chi-minh gave the call in Vietnam, hundreds and thousands of people were prepared to die. In our land, I have already mentioned about Gandhiji and Guru Gobind Singh. I test the leadership with this standard. The tragedy is that we do not have a real leadership in this country that can bring about this revolution, that can bring about these changes in the society.

SHRI LADLI MOHAN NIGAM (Madhya Pradesh): Leadership or leader?

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA: We do not have such leadership in this country now. That is the tragedy of this country...

श्री लाडली मोहन निगम : लीडरशिप तो है . . .

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): He has the right to express himself as he wants Neither am I sitting here to tell him how he should speak nor should you interrupt him and tell him how he should speak.

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA: The country has to wait for such a leadership to emerge in this country. All these social tensions, all these evils which have been pointed out by Shri Surendra Mohan are because of a variance between our precept and practice. We say something but we do something else. Let us be very clear about that position The only person in this country who practised whatever precept he

preached was Mahatma Gandhi. I remember a story. When Mahatma Gandhi went to England, he visited the great Bernard Shaw. Bernard Shaw said I am a socialist', Then Gandhiji asked him about his library and his possessions and said, Well, you have all these things with you '. He said, When socialism comes, I would be willing to give them. Gandhiji said, I have been practising socialism all my life." That is the difference. That is where we have differed from some friends of ours. Therefore, we must direct our attention to these two basic questions of evolution of proper leadership for structural changes in the society, for structural changes in the socio-economic system for establishment of egalitarianism, for giving full employment, for creating conditions of social security. Until then, it will remain a talking point. That is all I wanted to say, Mr. Vice-Chairman, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Shri Jha-he is not here Shri Arabinda Ghosh.

SHRI ARABINDA GHOSH (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir the Resolution moved by Shri Surendra Mohan is being supported by me because there are some fundamental problems in regard to the social operation on the downtrodden sections of our society. Actually, I want to go deep into the problems because, in our opinion, the society is a class-divided society. Two classes exist in this society, the capitalist-landlord class and the working class. peasantry. The poorer classes toil and labour all through their life for their livelihood and the capitalist classes earn the maximum profits out of the labour of the downtrodden sections of the society. Actually the motive force of production is based on profit and exploitation by a particular propertied section of the society and this is the malady, this is the disease which is afflicting the millions of people of our country, the exploitation of man by man. This is the origin of inequalities, casteism, communalism, social violence and social oppression. Our fundamental problems stand like this. Actually the sad plight of these sections of the people is being discussed mostly in this House in the shape of Calling Attention Motions on atrocities on Harijans, killings of Harijans in different parts of the country. Many Calling Attention Motions on social oppressions are moved in this House every now and then. I cannot term them as Harijans or anything. They are the most exploited section of the society. Landlords and capitalist sections of the society earn the maximum profits out of their labour and they are ousted from the land. Virtually no scientific land reforms have been carried out in this country for the last 34 years, since Independence. There is no benefit to the poor consumer section of the society who are faced with sereve price rises now and then. There is no concern on behalf of the Ruling Party for misery and suffering of the large rural population of our country. They have no concern at all. Thousands of people are dying out of starvation out of killings of Harijans. Every now and then we pass many resolutions about the remedies of the sufferings of the toiling masses and the hon. Minister in their usual way give replies. But no basic effort is being made to stop the exploitation of man by man. If we cannot change the social structure through social revolution nothing good can be delivered to the poorer sections of the society. In this connection, I recall our President's message on January 26. Though it was not mentioned in the President's Address, somehow, our hon. Members also told earlier in this House that he (the hon'ble President) was frightened to say. What did the President say on that day? He said, "unless we take immediate action to arrest the disregard of moral values in public life, peoples faith in our political system will be undermined, with consequences which are frightening to contemplate". On the attack on minorities

[Shri Arabinda Ghosh]

and weaker sections, he said, most of you, like me, feel disturbed by frequent instances of atrocities on weaker sections and innocent. He also said that the fruits of development are beyond the reach of a large number and unemployment and under-employment continue to dog us. The production of many essential commodities falls far short of the goals we had set for ourselves. These are the many problems of our society which the present system cannot solve, without destroying the main disease of our society because the propertied classes are reaping fruits out of the labour and toil of millions of people of our country and the entire wealth of our country is concentrated in the hands of a few monopoly houses. Shri Surendra Mohan in his Resolution has stated: "...resistance put up by those entrenched in the *status quo* against the assertion by the down-trodden.."

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): You need not read it out; he has read it. You know one more Member has given his name now.

SHRI ARABINDA GHOSH: The mover of the Resolution has mentioned about the Panchayat Raj system and he has requested the Government to take concrete steps. What concrete steps could there be? For this, fundamental change is necessary. Many similar Resolutions have been adopted in this regard. Panchayati system is the essence under Parliamentary Democracy, if we can utilize it for the good of rural people. In West Bengal, actually the representatives of the agricultural labour poor peasants, artisans etc., are on the Panchayats; because they know the real problems with regard to development of rural society. These poor people are real assets of our country who live in rural areas. Therefore, elected representatives of these sections should be on the Panchayats and not the landlords, the rural elite, the Mahajans and other sharks. Panchayat should be an elected body consisting of representatives of poor sections and agricultural labour of the villages. Only this sort of Panchayati system is required in order to fight against inequalities, to remove exploitation of man by man. That is a very temporary solution suited to the present economic, political and social problems of our country. And I would request the Government to take proper steps so that every inch of this Resolution can be implemented, not by words but by action in providing land to the tiller with free of cost imposing ceiling on the profits of the monopolists, nationalisation of the key industries, indigenous and foreign without compensation, unearthing black money and the like other basic changes.

श्री धूलेश्वर मीणा (राजस्थान): आदरणीय उप सभाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस समय अपने भाव व्यक्त करने का मौका दिया। इस रेजोल्यूशन को, संकल्प को सुरेन्द्र मोहन जी ने मूव किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि आज देश में और समाज में इस प्रकार के हालात हैं जिनके लिये इस प्रकार की चर्चा होती रही है और होनी चाहिये। लेकिन जब नन्दा जी बोल रहे थे तो उनको सुनकर मुझे बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने सीधे-सीधे यह आक्षेप लगाया कि इस देश के अंदर सही लीडरशिप की जरूरत है, वह ने [illegible] देश में नहीं है या उनका कहना यह था कि जो कुछ भी आज देश के अंदर देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हो रहा है वह ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। मैं मानता हूं कि हमारा देश बहुत बड़े फैलाव में है, बहुत लम्बा चौड़ा है इसकी आबादी भी बहुत है। इसको कंट्रोल करना कोई मामूली बात नहीं है। फिर भी हिन्दुस्तान

की जनता इस बात को ताईद करती है कि हमें ऐसा नेता मिला है जो कि देश को ठीक ढंग से चला रहा है। आज हमारे जो विरोधी पार्टियों के लोग हैं वे हमेशा प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के 20 पाइन्ट्स के प्रोग्राम का विरोध करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस 20 सूत्री कार्यक्रम में क्या चीज बाकी रह गई है? गांव या समाज के हर क्षेत्र के विकास का उसमें एक-एक पाइन्ट जोड़ा गया है। हमारे समाज की आज जो हालत है यह कोई नई बात नहीं है। जैसा पाण्डेय जो बता रहे थे, जब से मानव की उत्पत्ति हुई है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को नीचा दिखाता रहा है या खत्म करने की कोशिश करता रहा है। सर्वाइवल आफ दी फिटेस्ट वाली बात बहुत मात्रा में चलती रही है। जब इस देश में अंग्रेज थे तो इस देश के अंदर क्या-क्या नहीं हुआ? प्रारम्भ से ही किस प्रकार से मनुष्यों का और इंसानों का नर संहार किया गया है, यह किसी से छिपा नहीं है। बाद में जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे समाज में काफी परिवर्तन आया आपको अच्छी तरह से मालूम है कि समाज में जाति वर्ग बने हुए हैं। एक जाति दूसरे जाति के आगे बढ़ने में बाधा पैदा करती थी। इसका ज्वलन्त उदाहरण यह है कि पहले शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ने दिया जाता था। एक प्रकार का वर्ग संघर्ष था। आज देश की आजादी के बाद शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के बच्चे, हरिजनों और आदिवासियों के बच्चे सवर्ण लोगों के साथ पढ़ रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं और देश के विकास में कन्धे से कन्धा मिला कर योग दे रहे हैं। इस प्रकार से समाज की जो दुहाई देने वाले लोग हैं या समाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं और एक परटीकुलर ग्रुप जो इस देश में पैदा हो रहा था, वह भी सब लोगों के साथ मिल कर देश के विकास के अन्दर लगे हुए हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम में समाज के उत्थान के लिये जो प्रोग्राम दिया गया है उसकी तरफ विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। हमारे विरोधी दलों के माननीय सदस्यों को जब भी हम 20 सूत्री कार्यक्रम का नाम लेते हैं, हंसी आ जाती है। ऐसा मालूम पड़ता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम से इनको एलर्जी हो गई है। मैं कहना चाहता हूं कि यह वही 20 सूत्री कार्यक्रम है जिसके कारण पहले भी समाज में बहुत विकास हुआ और अब भी थोड़ी बहुत तरमीम करके, बदल करके, अब जो 20 सूत्री कार्यक्रम आया है, वह समाज के विकास का प्रोग्राम है और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। स्कूल में जब बच्चे पढ़ते है तो वे अपने जीवन में फिर आगे बढ़ते है और आगे बढ़ कर वे समाज का काम करेंगे। यह लोग आगे चल कर राजनीति में भी आते हैं। आप देखिये कि पहले हमारा देश कहां था और आज कहां है। ऐसी हालत में यह कहना कि इस देश में कोई नेता ही नहीं है या इस देश की कोई नीति नहीं है, बिल्कुल गलत है। मैं निवेदन करूंगा कि श्री सुरेन्द्र मोहन जी का जो यह प्रस्ताव है, प्रस्ताव के तौर पर यह अच्छा प्रस्ताव है। लेकिन इसमें कई चीजे उठाई गई है। अगर आप यह कहेंगे कि इस देश में कोई नेता नहीं है या कोई परटिकुलर व्यक्ति यह सब काम कर सकता है तो मैं कहूंगा कि आप ऐसा कहते जाइये, इससे कोई लाभ नहीं होगा। हमारे नेता ने जब भी जरूरत पड़ी है आप लोगों को आवाहन किया है और जब भी जरूरत पड़ी है विकास के कामों के लिये या समाज के उत्थान के लिये, मिलकर आगे बढ़ने की बात कही है। इन सब कामों के लिये हमारे प्रधान मंत्री ने आपको याद किया है। मैं यह तो नहीं कहता कि आपने बिलकुल

[श्री धूलेश्वर मीणा]

सहयोग नहीं दिया है, लेकिन अगर हमको देश को ऊपर उठाना है, समाज को बदलना है आर्थिक ढांचे को बदलना है तो आपको भी सरकार के साथ सहयोग करना पड़ेगा और आगे आ कर इस प्रकार के कार्यक्रमों में अपने कर्त्तव्य को जरूर निभाना पड़ेगा। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान सत्ता के विकेन्द्रीकरण की जो बात चल रही है उस ओर ले जाना चाहता हूं। इंदिरा गांधी जी का जो 20 सूत्री कार्यक्रम है उसमें विकेन्द्रीकरण का स्पष्ट रूप से उल्लेख हुआ है, जो कि आपके सामने है। कहा है केन्द्रीयकरण सबसे ऊपर आपकी संसद पार्लियामेंट बैठी हुई है, नीचे आपकी असेम्बलियां बैठी हुई है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद और उसके नीचे ग्राम पंचायतें हैं। इस प्रकार से कांग्रेस सरकार और बात करके इंदिरा गांधी जी ने देश की सत्ता को, देश की बागडोर को, जहां गांव है वहां तक पहुंचा दिया है। आज हरेक गांव का गरीब, गरीब किसान भी, हरिजन भी, आदिवासी भी, चाहे वहां जो भी रहता हो अपनी समस्याओं को सुलझाने में समर्थ है। वहां न्याय पंचायतें है, ग्राम पंचायतें है। यहां तक तो सत्ता दे दी है, इस देश को इतना दे दिया है तो आप किस बेसिस पर यह कह रहे हैं कि सत्ता का केन्द्रीयकरण हो रहा है। एक माननीय सदस्य कभी कह रहे थे कि क्या इंदिरा गांधी के अंदर ही इतनी क्षमता है, वही इतनी योग्य है और नहीं है; क्यों नहीं आप में से इतना योग्य बनता है? माननीय महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश के नेता के अन्दर यह क्षमता किसने दी है? देश की जनता ने, सभी लोगों ने इनकी पार्टी को पावर में ला कर सत्ताधारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को यह क्षमता दी है। सभी मेम्बर सभी सदस्य इस बात को मानते हैं, देश इस बात को मानता है कि देश की नेता हमारी इंदिरा गांधी है जो देश को अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकती है। इतना कहकर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Mr. Bagaitkar. I hope you will confine your remarks to ten minutes.

SHRI SADASHIV BAGAITKAR: I will confine my remarks to everything that is said in the House.

श्रीमन, जो प्रस्ताव हमारे सहयोगी और मित्र श्री सुरेन्द्र मोहन जी लाये हैं।

संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : आबजेक्टिव बोलिये।

श्री सदाशिव बागाईतकर : आबजेक्टिव, समझ लीजिये, वही बोल रहा हूं।

यह प्रस्ताव एक मायने में निर्गुण प्रस्ताव है। जहां तक निर्गुण की बात है, वसूल को मानने की बात है, चाहे समता हो, चाहे लोकतंत्र हो, चाहे लिबरलिज्म हो और चाहे रेशनलिज्म हो, उसको तो माना जाता है वसूल के नाते। निर्गुण तत्व को मानने में किसी को हिचक नहीं होनी चाहिए। कल्पनाथ राय भी निर्गुण समता बना लेते हैं, निर्गुण विकेन्द्रीकरण मान लेते हैं। यह दूसरी बात है कि ग्राम पंचायतों के लिये पंचायत कौन हो, इसका अगर फैसला करना हो तो वह 1-सफदरजंग रोड पर होगा। लेकिन वसूल के नाते विकेन्द्रीकरण को मानेंगे अभी हमारे मित्र विकेन्द्रीकरण की गाथा गा रहे थे। आपको मालूम है कि जो आपकी जिला परिषदें हैं, आपके ग्राम पंचायतें है इनको एक मिनट में एक आई० ए० एस० आफिसर बरखास्त कर लेता है, इसका क्या आपको पता है। किस तरह का विकेन्द्रीयकरण आप ला रहे हैं? असल में

श्री धूलेश्वर मीणा : हमारे राजस्थान में विकेन्द्रीकरण बड़ी सफलता पूर्वक चल रहा है।

श्री सदाशिव बागाईतकर : ठीक है वह भी सारे देख रहे है आपकी विकेन्द्रीकरण। एक ग्राम पंचायत के बारे में निर्णय केन्द्र की सत्ता करती है, यही आपका विकेन्द्रीकरण है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Can't you speak unprovocatively?

SHRI SADASHIV BAGAITKAR: I am stating the facts. If the facts provoke somebody, I cannot do anything.

श्री सदाशिव बागाईतकर : श्रीमन बात यह है कि जो समस्यायें हैं उनके बारे में जानकारी है। लेकिन जो समस्याओं का हल और इलाज है उसके बारे में आज देश में एक राय नहीं है। हकीकत के तौर पर यह मानना चाहिए कि हम लोगों में जंग आजादी के दौर में बहुत प्रयास के बाद इस देश में सामाजिक परिवर्तन के बारे में, राजनैतिक सत्ता और जनता के सम्बन्ध के बारे में, जिस तरह का सामाजिक आचरण और जीवन रहेगा इसके बारे में एक व्यापक कंनशस, एक राय. गांधी जी के नेतृत्व में बनाई थी। लेकिन वह जो कनसेंसस की स्थिति थी वह बढ़ाने के बजाय 30 साल तक जो शासन इस देश में रहा, आजाद मुल्क में रहा और ज्यादातर समय कांग्रेस पार्टी का शासन रहा उस कनसेंसस को तोड़ा गया। और जो बुनियादी परिवर्तन की बात थी बुनियादी परिवर्तन की जगह हम लोगों ने शासक दल के खास कर के यह नीति अपनाई की सत्ता में बने रहने के कारण जिस तरह के कम्प्रेमाईजेंस करने पड़े, जिस तरह के समझौते करने पड़े, जो वचनबद्धता राष्ट्र के साथ थी उस को जिस तरह से तोड़ना पड़ा वह सब इन लोगों ने किया। स्थिति यह अब बन गई है कि देश के अन्दर समाज के अन्दर यहां तक दे समाज के पढ़े लिखे तबकों में भी आदर्श हो अच्छा आचरण हो इसके बारे में एक भयानक रिक्तता शून्यता पैदा हो गई है। श्रीमन, मैं यों ही नहीं बात कह रहा हूं। मुझे याद है कि हरिजन समस्या के बारे में गांधी जी के उपवास के बाद देश में यह स्थिति पैदा हो गई थी कि कट्टर से कट्टर हिन्दुओं को भी सवर्णो को भी ब्राह्मनों को भी, अछूत को अछूत मानने या कहने में हिचक बन गई थी। उसमें उसको अनैतिकता महसूस होती थी। एक परिवर्तन की तेज हवा चली हरिजनों अछूतों का सवाल एक ऐसा सवाल था जो चतुर्वर्ण पर मर्माघात करता था लेकिन यह परिस्थिति देश में बनी। बाद में यह हुआ कि इस परिवर्तन को आगे ले जाने के बजाय हम लोगों ने वह सिलसिला ही तोड़ दिया। आज जिस तरह की हत्यायें हरिजनों को होती हैं, उन हत्याओं को भी एक राजनैतिक पृष्ठभूमि बन गई है। यह अछूतों के बारे में नहीं कह रहा हूं, श्रीमन, आपने भी पढ़ा होगा कि आजकल दो चार दिन से अखबार में चर्चा है कि दिलीप कुमार ने दूसरी शादी की है। मैं यह आदर्शो में जो शून्यता और रिक्तता आ गई है उसकी मिसाल दे रहा हूं। दिलीप कुमार सिर्फ एक सिने एक्टर नहीं हैं, आप लोगों ने उसको बम्बई का शेरिफ बनाया था। अन्तुले सहाब जब थे उस समय वे शेरिफ थे...

उपसभाध्यक्ष (डा० रफीक जकरीया) . आप गलत कह रहे हैं।

He was appointed as the Sheriff by Mr. Sharad Pawar, who was your Chief Minister.

श्री सदाशिव बागाईतकर : अन्तुले का नहीं मैं कह रहा हूं, इस मायने में नहीं कि उसने बनाया था इस मायने में कह रहा हूं कि उनके जो आपसी सम्बन्ध हैं, यह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं ।

उपसभाध्यक्ष (डा० रफीक जकरिया) अन्तुले को छोड़ दीजिये ।

श्री सदाशिव बागाईतकर अन्तुले का जिक्र आने पर . .

उपसभाध्यक्ष (डा० रफीक जकरिया) : क्योंकि आपने मुझे एड्रेस किया इसलिये मैं कह रहा हूं ।

श्री सदाशिव बागाईतकर : मेरे कहने का यह मतलब था कि दिलीप कुमार की शादी का मामला चल रहा है । जो आदमी शेरिफ रहा हो, सार्वजनिक जीवन में रहा हो, मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि शेरिफ कोई बड़ा आदमी नहीं होता है, लेकिन जो आदमी शेरिफ रहा हो सार्वजनिक जीवन में रहा हो वह ऐसा काम बिना हिचक इसी समाज में में कर देता है जिस समय सामाजिक मूल्य में समता की बात हम कर रहे हैं, स्त्रियों का स्थान समता में समता के आधार पर हो। गांधी जी ने महिलाओं के लिये क्या किया ? हिन्दुस्तान की आजादी का इतिहास है कि महिलाओं को उन्होंने घर से बाहर निकाला, आजादी की लड़ाई में सैनिक बनाया । इस देश में आज यह हो रहा है । अभी हमारे मित्र दुआएं दे रहे थे, कैसे हमारा प्रयास हो रहा है, इसको भी जरा देखिये कि हमारे सार्वजनिक जीवन में बिना हिचक इस तरह का गलत काम करने वालों को भी मान्यता प्राप्त हो जाती है, उनको स्वीकारा जाता है । तो सवाल श्रीमन्, यह है कि जो प्रस्ताव मेरे सहयोगी श्री सुरेन्द्र मोहन जी ने रखा है, इस प्रस्ताव में जो बातें कही गई हैं, उस पर अमल कैसे हो, यह सवाल है ।

समता का मामला है, इस पर अमल कैसे होगा । सम्पूर्ण समता नहीं तो संभव समता का अमल हम लोग करें । सम्पूर्ण समता की दिशा में देश नहीं जा सकता तो हम से कम संभव समता क्या है इसकी हम खोज करें और इस की शुरुआत करने की बात करें। आखिर कार हम लोग कैसे भूल सकते हैं नन्दा साहब ने संविधान की दुहाई की, लेकिन नन्दा साहब ने इसका जिक्र नहीं किया कि इस संविधान के मंजूर होने के बाद डाक्टर बाबा साहब अमबेडकर ने जो कस्टट्वेंट असेम्बली में भाषण किया, उसमें उन्होंने कहा है कि यह खाका जो हम लोगों ने बना दिया लेकिन यह खाका स्वयं जीवन्त नहीं है, इसमें जीवन नहीं है । हमको ऐसा काम करना होगा, परिवर्तन की दिशा में आगे जाकर कि यह जो हमारा संविधान है यह एक जीवन्त चीज बन जाय । यह उन्होंने उसी वक्त ललकारा था, उनको भाषण निकालकर आप देख सकते हैं । तो खाका होने से एक संविधान है उसमें सब लिखा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कहा गया है, लेकिन यह कहने मात्र से क्या होता है । असल में सवाल है कि अमल कैसे हो । श्रीमन्, कल ही इस सदन में आंकड़े मेरे मित्र श्री हेगड़े साहब ने पेश किये, क्या गरीबी को दूर करने का कोई संकल्प है । गरीबी को दूर करना है जिस तरह का नियोजन आप लोगों ने बनाया है उससे गरीबी दूर नहीं हो सकती । 30 साल से हम देख रहे हैं । हम गलत दिशा में भटक रहे हैं । गरीबी की समस्या का कैसे हल होगा । क्या सामाजिक समता की बात करते हैं ? मेरे मित्र श्री रामेश्वर सिंह जी का भाषण कई लोगों को ठीक नहीं लगा ।

लेकिन समाज में जिनकी अपनी एक पोजीशन है, जो सारे समाज के ढांचे में कई फायदे परम्परा से सैकड़ों सदियों से हासिल कर रहे हैं, आज उनका स्थान आपके समाज में क्या है? यह जो हमारी डेमोक्रेसी है, श्रीमन, यह जो उसका बेस है, उसका सामाजिक आधार है, यह बहुत ही नैरो आधार है। यह तो ऐसी स्थिति है कि हम सारे लोकतंत्र का व्यापक आधार बनने की बजाय उसका जो आधार है उसको भी तोड़ रहे हैं और तब जब उन्होंने बात को दोहराया कि सर्विसेज में राजकीय नौकरियों, में मंत्रियों में यहां तक कि प्रधान मंत्री और प्रधान मंत्री जी को कार्यालय में जो ऊंची जाति की भरमार है उसका असर होगा। सामाजिक चौखट में सामाजिक स्थिति में जो पिछड़े हैं जिनको कोई मान्यता नहीं है, जिनकी कोई आइडेंटिटी अपने समाज में नहीं है, चाहे आदिवासी हो, चाहे हरिजन हो, चाहे आधा हिस्सा समाज का जिसको आप महिला कहते हैं, इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है! किसी के सहारे उनको आज के समाज में जीना पड़ रहा है और अपनी कुछ बात के लिए ऊंगली उठायें तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। जब यह होता है, तब समता की बात कैसे समाज में आगे बढ़ेगी। यह बात आ जाती है और इसलिए इन बातों पर सोचकर इसका कुछ इलाज करना है। तो जब तक आप बीस कर्मीसूत्र की दुहाई दे रहे हैं—मेरे मित्र यहीं चले गए हैं—क्या यह कोई तावीज है कि बीस सूत्री तावीज बांधे और मामला खत्म हो गया। अमल की बात है। अगर आप गरीब, अमीर की खाई को पाटना चाहते हैं तो कैसे आप करेंगे। जो आपने छूट दे रखी है बिड़ला और टाटा को कि वे चाहे जितना खर्च करें, चाहे जितना कमायें, यह सुविधा जब तक आप देते हैं तब तक कहां से पैसा उपलब्ध होगा गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए, उनको नया रोजगार दिलाने के बारे में। इसके बारे में आप कुछ नहीं कहते हैं। इसलिए चाहे सामाजिक समस्या हो आर्थिक स्थिति के विकेन्द्रीकरण की समस्या हो (समय की घंटी) मैंने यह कहा कि देश का माहौल और देश में जो कन्सेन्सस है उसको आपने तोड़ दिया है। गांधी जी ने जो कन्सेन्सस इस देश में पैदा किया उसको आपने तोड़ दिया है। मैं सिर्फ यह सामाजिक और आर्थिक स्थिति तक नहीं कहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या किसी देश में लोकतंत्र जिंदा रह सकता है अगर शासक दल के अंदर ही लोकतंत्र न रहे। खाली शासक दल की बात में नहीं कह रहा हूं लोकतंत्र जिंदा रहना है तो जो प्लूरैलिटी है सोसाइटी में, समाज में जो प्लूरेलिटी होती है, ट्रेड यूनियन्स में होती है, अलग-अलग सोशल आर्गेनाइजेशन में होती है, पोलिटिकल पार्टीज में होती है उसमें ही लोकतंत्र मर जाय तो क्या देश में लोकतंत्र बचा रहेगा? जो स्थिति आज शासन दल की है—लोकतंत्र की दृष्टि से तेरह महीनों के बाद आज पहली बार आपकी वर्किंग कमेटी मीट हुई। कांग्रेस का पुराना इतिहास निकाल करके देखिये। इस तरह की बातें नहीं हुआ करती थीं। नीचे से ऊपर तक एक कड़ी थी आपके संगठन की, जो आज आपने पूरी तरह से चौपट कर दिया है और श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम लेकर सब चीजों को आप समझते हैं कि यही एकमात्र इलाज है लोकतंत्र बचाने का, यह सही तरीका नहीं है, श्रीमन्।

अगर लोकतंत्र में आस्था होती आपकी और लोकतंत्र में सही मार्ग में आपका विश्वास है, तो आपको अपने संगठन

[श्री सदाशिव बागाईतकर]

में भी तो लोकतंत्र का कोई परिचय, कोई सबूत समाज के सामने पेश करना होगा । इतना ही नहीं, मैं तो यह कहूंगा कि आपके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि समाज के सामने आप कुछ आदर्श रखिये, सादगी की जिंदगी बिताने का आदर्श हो, ईमानदारी का आदर्श हो, उसूलों के साथ बंधे रहने का आदर्श हो ।

इन चीजों में आप खुद यदि कम्प्रोमाईज करते जायेंगे और समाज से यह उम्मीद करेंगे कि समाज अच्छा हो और भला हो, और हमको यह सबसे करने की छूट समाज दे, तो मैं नहीं समझता कि ऐसी स्थिति में लोकतंत्र रह सकता है ।

श्रीमन्, यह भारतीय मानस की अजीब उपज है । यहां तक हम लोग गये कि मानस की दृष्टि से तो हमने हर चीज में जीव एकात्म है, इसको माना । मनुष्य की आत्मा किसी पेड़, किसी जानवर में जो भी आत्मा है, इसको हमने माना कि वह एक चीज है, निर्गुण रूप में यह माना, लेकिन सगुण रूप समाज का ऐसा बनाया कि किसी को अछूत बनाया, किसी को हरिजन बनाया, उसकी छाया तक हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते और भारतीय मानस एक सिर्फ इस मामले में नहीं, आगे भी --(समय की घंटी)

आखिर में मैं एक बात कह कर समाप्त कर देता हूं । यह चमत्कार भारतीय मानस का है कि जब शंकराचार्य ने सत्य की परिभाषा की, तो सत्य को भी दो स्तर पर रखा, लौकिक सत्य और पारलौकिक सत्य । यह परिभाषा मानस का चमत्कार है । शंकराचार्य ने भी सत्य की परिभाषा लौकिक सत्य और पारलौकिक सत्य में करके हमको खुली छूट दी कि बनिया झूठ व्यवहार करे, तो उसकी कोई गलती नहीं है । तो यह भारतीय मानस की जो उपज है, उससे सभी लोग ग्रसित हैं और उससे शासक दल भी अलग नहीं हैं । आप भी उससे स्वाहाकार हो गये हैं ।

इसलिए श्रीमन्, जब इस तरह का प्रस्ताव सदन में आता है, तो सवाल यह पैदा हो जाता है कि उसके निर्गुण उपक्रमों की चर्चा और उसको स्वीकार करने की चर्चा तक सीमित रहने से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ समाज का नहीं होगा । इसको निर्गुण रूप देकर, आप जो दे सकते हैं, उतना देकर उस पर अमल करने की जिम्मेदारी को शासक दल उठायेगी, यह असली सवाल है इसमें और जब तक आप इसको कबूल नहीं करोगे तब तक उसूल के नाते इन चीजों को कबूल करने से एक पाखंड मात्र देश में पैदा हो रहा है जिससे सारे लोगों का विश्वास असूलों पर से, सच्चाई पर से और अच्छे आचरण से उठ रहा है । यह खतरा अब ज्यादा बर्दास्त करना ठीक नहीं होगा ।

आखिर में मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरे मित्र नंद जी किसी अवतार की इंतजार में है । अब गांधी जी हो गये है-- (समय की घंटी) --अब कोई नया अवतार-- मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं-- मैं किसी अवतार के चक्कर में नहीं हूं, मैं नहीं मानता हूं और कोई अवतार हो कर के आएगा फिर इस देश को बचायेगा । मेरी यह मान्यता है कि जब अन्याय बेहद है इस तरह से देश में चलता रहा और जिसको काबू में लाने में शासक दल असफल रहे, कारगर रूप से उसने काम नहीं किया, यह जब लोग देखेंगे, तो

लोग स्वयं उठ खड़े होंगे और जो औजार उनके हाथ में होगा उस औजार से अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेंगे । इसके सिवाय समाज परिवर्तन की कोई और प्रतिक्रिया नहीं बचेगी । इतना कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

4 P. M.

श्री रामपूजन पटेल (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ऐसे प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया जो देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस प्रस्ताव पर मैं अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि आज देश की जो स्थिति है उस पर हम लोगों को बहुत ही गंभीरता से सोच-विचार करके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषमता को मिटाने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए ।

[उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश गोस्वामी) पीठासीन हुए]

श्रीमन् आप जानते हैं कि हमारे बहुत से साथियों ने अपने अपने हिसाब से जात-पांत और धर्म-सम्प्रदाय के सम्बन्ध में अपने विचारों को व्यक्त किया है । लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था देश के अन्दर पुराने जमाण में थी उसका एक महत्व था । उस महत्व को लोगों ने समाप्त करके आज जात-पांत की जो मनगढ़ंत रूपरेखा दी है उससे हमारे देश की सामाजिक छवि धूमिल हुई है । पहले हमारे देश मे सामाजिक व्यवस्था कर्म के आधार पर हुई थी, वर्ण के आधार पर हुई थी, किसी जाति के आधार पर नहीं हुई । लेकिन जब लोगों ने अच्छे कर्म करने छोड़ दिये, जब उनके अन्दर अच्छे कर्म करने की शक्ति नही रह गई, उसमें गुण नहीं रह गया, देश की सेवा करने की क्षमता नहीं रह गई, तो कर्म के आधार को छोड़कर हम जाति के आधार पर चले । जिसका नतीजा यह हुआ कि देश के अन्दर जो संगठित होकर, देश को आजाद कराया, आजादी के बाद, हमारे समाज के अन्दर कुछ कीड़े लग गये हैं जो आज सामाजिक विषमता को कायम किये हुए हैं । उसको हमको और आपको मिलकर मिटाने की आज जरूरत है । हमारा देश वह देश है जहां पर हमेशा कर्म की पूजा हुई है, जाति की पूजा नहीं हुई है, और जब जाति का सम्मान हुआ, जाति को प्राथमिकता दी गई तभी हमारे देश में विदेशी लोगों का शासन हुआ और हजारों साल तक हिन्दुस्तान गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा । लेकिन जब हमारे देश के अन्दर हर वर्ग के लोगों के लिए खतरा हुआ, हर सम्प्रदाय के लिए खतरा हुआ तब देश के अन्दर हमने अंग्रेजों को भगा कर स्वतंत्रता प्राप्त की और आज हम स्वतंत्र भारत में रहकर अपने देश को विकास की ओर आगे ले जा रहे हैं । हम जानते हैं कि हमारे देश के अन्दर महात्मा गांधी, दयानन्द सरस्वती, कबीरदास, हजरत मुहम्मद साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डा० राम मनोहर लोहिया आदि तमाम महापुरूष का नाम लिया जाता है कि उनके कर्म ऐसे थे कि देश को जागृत करने की भावना वह हमारे अन्दर पैदा किये हैं । इसलिए हम उनको याद नहीं कर रहे हैं कि वह फलां जाति के थे । जब जाति को आधार लिया जाता है तो मैं मानता हूं कि उस व्यक्ति के अन्दर कार्य करने की क्षमता नहीं है, इसलिए वह जाति का आधार लेकर समाज का शोषण करना चाहता है ।

श्रीमन् आप जानते हैं कि जो गरीबों को सताते हैं, परेशान करते हैं, उसके कुछ कारण हैं । चाहे जाति के नाम पर गरीबों का शोषण हो रहा हो, चाहे धर्म के नाम पर हो रहा हो, आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर है, उनका शोषण

[श्री रामपूजन पटेल]

किया जा रहा है। हमारे एक महात्मा ने लिखा है—

"दुर्बल को न सताइये जाकी मोटी हाय,
मुई खाल की श्वांस सों, लौह भस्म हुवै जाय।"

तो जब गरीबों को सताने वाले आदमी देश में कैसे सुखी रह सकते हैं। मान्यवर, आप जानते हैं कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो बड़े बड़े देश के राजा या जमींनदार तथा जिन लोगों ने समयानुसार अपना रवैया नहीं बदला, जिन्होंने प्रजातांत्रिक ढंग से देश में काम नहीं किया, आज उन राजाओं और बड़े बड़े जमींदारों की स्थिति का अध्ययन आप करेंगे तो पायेंगे कि उनकी हालत खराब हो गई है लेकिन जो स्थिति को देखकर समाज को आगे बढ़ाते में सहायक रहे, उनका विकास हुआ है और देश को उन्होंने मज़बूत करने में योगदान दिया है। हमारे कुछ साथियों ने कहा कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय गरीबों के साथ अन्याय नहीं होता था लेकिन मैं बता दूं कि उस समय देश के गरीब बोल ही नहीं सकते थे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मैं नोट कर रहा था, सन् 1947 से पहले जब देश में गरीब गुलाम थे उस समय सरकार के खिलाफ कोई आदमी बोल नहीं सकता था।

श्री रामेश्वर सिंह (उत्तर प्रदेश): इतना पीड़ित नहीं था।

श्री रामपूजन पटेल: मैं जानता हूं कि जब आदमी अपने दुखों को कह सकता है तो पीड़ा ज्यादा मालूम होती है। हमारे ऊपर अधिक तकलीफ होगी, हमें सताया जायेगा, हमारा शोषण होगा और अगर हम बोल नहीं सकते है तो वह दुख सुनाई नहीं पड़ेगा। आप जानते हैं कि जहां पर साम्यवादी शासन है वहां पर गरीबों का बहुत शोषण हो रहा है, लेकिन वह कभी अखबार में नहीं निकल सकता। कभी वह शासन के खिलाफ बोल नहीं सकते, मैं कैसे मान लूं कि वहां के लोग खुशहाल हैं। बहुत से देशों का डाटा निकलता है कि वहां इतने आदमी भूख से मर गये, लेकिन वहां के लोग सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते। आज हमारे देश के अन्दर प्रजातान्त्रिक सरकार है जिसे जनता ने चुन कर भेजा है। हम को अपनी बातों को कहने का हक है, अधिकार है, हम अपनी बातों को स्वतन्त्र रूप से, स्वच्छन्द रूप से अपनी सरकार के सामने कह सकते हैं कि हमारे देश के अन्दर यह अत्याचार है, यह अन्याय है। तो मैं आप से कहना चाहता हूं कि सामाजिक विषमता मिटाना हमारे देश के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि मानव एक है, एक ही दुनिया की शक्ति है जिसके प्रभुत्व में रह कर हम इस संसार में विचरण कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। यहां पर हम तमाम संसद सदस्य इकट्ठा हैं, कोई अपने नाम के आगे सरनेम नहीं लगाता तो हम नहीं जान सकते कि कौन सी जाति का कौन सदस्य है। हम सब मनुष्य हैं, हमारे अन्दर मानवता की भावना होनी चाहिये। ऐसा नहीं होगा तो हम अपने देश को मजबूत नहीं बना सकते।

अभी वागाईतकर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने शंकराचार्य के सम्बन्ध में अपना विचार प्रकट किया। दो-चार साल पहले मैं उन के विचार को पढ़ता था कि देश के अन्दर वर्ण-व्यवस्था, जात-पांत नहीं मिटनी चाहिये, यह तो सिद्ध संस्कार हैं, यह

कायम रहेंगे, लेकिन इस साल अखबारों में आया—प्रयाग में कुम्भ मेला लगा था—उन्होंने कहा कि इस को मिटना चाहिये। क्यों कहा? इस लिए उन्होंने कहा इस लिए उन को बदलना पड़ा—मजबूरन बदलना पड़ा—क्यों कि अगर नहीं बदलते तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि इन लोगों को उठा कर देश से वैसे ही फैंक दिया जाता जैसे दूध से मक्खी को निकाल कर फैंक देते हैं, उस की कोई कीमत नहीं रह जाती। जो धर्म के ठेकेदार हैं उन को देश के अन्दर मानवतावादी सिद्धांत को मानना पड़ेगा, चाहे आज मानें, चाहे दस दिन के बाद मानें। विरोधी दल को हमारे देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए जो कानून बना रही हैं उस में सहयोग करना होगा ताकि किसी गरीब के साथ अत्याचार न हो। आज धर्म के ठेकेदारों ने बोलना शुरू कर दिया है। जब पेपर में निकला कि तमाम जगह पर धर्मपरिवर्तन शुरू हो गया तो शंकराचार्य को भी बोलना पड़ा कि जात-पांत की भावना को समाप्त करना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज हमारी सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि जो समाज के अन्दर साम्प्रदायिक भावना पैदा करने वाले, जात-पांत पैदा करने वाले और आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से शोषण करने वाले व्यक्ति हैं उन के ऊपर अंकुश लगायें जो गरीब आदमी हैं, जो किसान तबका है, जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए सब को योगदान करना चाहिए। विरोधी दल के जो हमारे साथी लोग हैं उन को भी जिम्मेदारी है कि जो अच्छे कानून बनाये जा रहे हैं देश के विकास के लिए, किसान, गरीब, हरिजन और पिछड़े वर्ग की तरक्की के लिए उन का समर्थन करें और हमारा देश कैसे मजबूत हो सकता है, एक सूत्र में बंध कर हम अपने देश की अखंडता को, अपने देश की आजादी को कैसे कायम रख सकते है उस में मनसा, वाचा, कर्मणा से सहयोग दें और हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी के द्वारा जो भी अच्छे कार्य किये जा रहे हैं उन में यह लोग सहयोग दें। विरोधी दल की सब से बड़ी भूमिका होती है बताना कि हम इस में ऐसा संशोधन कर के देश को आगे बढ़ा सकते हैं। केवल आलोचना कर के हम देश को मजबूत नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि हम लोग अच्छी राय देंगे और देश को आगे बढ़ाने में एक जुट हो कर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषमता को मिटायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द।

श्री रामलखन प्रसाद गुप्त (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री सुरेन्द्र मोहन जी के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है मैं उस का समर्थन करता हूं मैं इस बात का पूरा समर्थक हूं कि आज हिन्दुस्तान में जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर असमानता का भाव बढ़ता जा रहा है यह बढ़ता ही नहीं जा रहा है बल्कि लोगों को नीचे रखने की कोशिश की जा रही है यह उचित नहीं है। आज सभी क्षेत्रों के अंदर असमानता का भाव फैला है जिसके कारण आज कोई क्षेत्र कहता है कि हमारे साथ ठीक बर्ताव नहीं हो रहा है, किसी जाति के लोग कहते हैं कि उन के साथ ठीक बर्ताव नहीं हो रहा है हर जगह हम इस तरह की बात पाते हैं। इन्दिरा जी का नाम बहुत लिया जाता है और बीस सूत्री कार्यक्रम की बहुत दुहाई दी जाती है, लेकिन मैंने देखा है कि जो बीस सूत्री कार्यक्रम को चलाने वाले है जो उस समिति के मंत्री हैं जिन्होंने 77 मुसहर परिवारों को एक ही दिन में

[श्री रामलखन प्रसाद गुप्ता]

घर से बेघर कर दिया ऐसे लोग ही ज्यादातर इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। उस में भले ही कितनी अच्छी बातें हों लेकिन देखना यह होगा कि आप की नीयत कैसी है मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि आप की जो कांग्रेस की सरकार है वह सरकार कहीं भी नहीं चाहती कि लोगों में समानता का भाव आये। वह तो असमानता के कारण ही चल रही है और हिन्दुस्तान पर राज कर रही है। आज जितनी असमानता की बातें आयीं उन को आप ने सुना आप पायेंगे कि जहां भी लोग आगे बढ़े हैं वहां उन के लोग ही आगे बढ़ पाये हैं और गरीब दबे हुए लोगों के लिए कुछ नहीं हो पाता है। चारों तरफ हरिजनों को मारा ही नहीं जाता उन को नीचा ही नहीं किया जाता बल्कि उन को जला दिया जाता है और उस के बाद कुछ नहीं होता है। पटना में, भोजपुर में नक्सलाइटस के नाम से चारों तरफ हरिजनों को मारा जा रहा है। हकीकत यह है कि उन हरिजनों को नीचे से ऊपर उठने नहीं दिया गया। उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। उनको बराबर में नहीं बैठने दिया गया। उनको बैलगाड़ी पर गांव में बैठने नहीं दिया जाता है, उनको गांव में बारात नहीं निकालने दी जाती है। उसका नतीजा यह होता है कि वे एक दिन आगे बढ़ते हैं और अपने हक के लिये जब लड़ाई लड़ते हैं तो उनको नक्सलाइट के नाम से इंकाउन्टर में मार दिया जाता है। हजारों हजार लोगों को इस तरह से गोली के घाट उतार दिया जाता है। हर जगह ऐसा हो रहा है। हमारे मुख्य मंत्री जी का आज भी ब्यान है कि बिहार में चार की हत्या हो गई, लेकिन वह लैंड डिस्प्यूट था। कुछ भी कह कर उनको दबा दिया जाता है और गोली से मार दिया जाता है। यह हमारे भाई सुरेन्द्र मोहन जी ने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है कि जो लोग ऊंचे ओहदों पर हैं, अच्छे स्थानों पर हैं, चाहे वे शिक्षा के कारण हों या जाति के कारण हों या धर्म के कारण हों आज उनको लगता है कि उनका आसन डोल रहा है। इसलिये वे जागरूक हो रहे हैं और अपने अस्तित्व को मिटने देना नहीं चाहते। वह यथास्थिति बनाये रखना चाहते हैं। बिहार में 1981 की सेंसस के अनुसार 26 प्रतिशत लिट्रेसी है। वहां 26 प्रतिशत शिक्षित लोग हैं। वह लोग कौन हो सकते हैं, इसका अन्दाजा आप लगा सकते हैं। यह ऊंची जाति के लोग ही होते हैं, जिनको सुख सुविधा मिलती है। जो लोग दबे हुए हैं वह तो बहुत मुश्किल से ऊपर आ पाते हैं। उनको बहुत परेशानी होती है और इस लिये आज आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे लोगों को ऊपर लाने की हम कोशिश करें। लेकिन मुझे उस रोज सुन कर बहुत दुख हुआ जब प्राइम मिनिस्टर साहिबा यहां बोलीं थीं। जब रिजर्वेशन की बात आयी तो उन्होंने कहा कि यह तो आदर्श रिजर्वेशन होगा, अगर उस में आर्थिक परिस्थिति की बात आ जाये। अगर आर्थिक स्थिति की बात उसमें आ जायेगी तो फिर जो साधारण और निम्न सामाजिक स्तर के लोग नीचे हैं उनको आप उपर कैसे उठा पायेंगे। आज भी बड़े से बड़ा हरिजन करोड़-पति है, उसके यहां अगर गरीब ब्राह्मण रसोइया होता है और वह हरिजन ब्राह्मणों के पैर पर गिर कर उसे प्रणाम करता है। यह आर्थिक विषमता दूर करने से ही ठीक किया जा सकता है। तो हम लोगों को देखना है कि इस

विषमता को दूर कैसे किया जाये। अभी आपने गुजरात में देखा कि वहां हरिजनों के लिये रिजर्वेशन के सवाल पर कितना झगड़ा हुआ। हिन्दुस्तान की संसद में आजादी के बाद दो बार सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित हुए। गत वर्ष यह प्रस्ताव आया कि यह रिजर्वेशन के संबंध में आन्दोलन समाप्त होना चाहिये, लेकिन यह आन्दोलन समाप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं समाप्त हुआ, इसका कारण यह है कि इसके पीछे कुछ नेता लगे हुए हैं। उसे उभार रहे हैं। वे कहते हैं कि जो दबे हुए हैं, वे दबे रहेंगे। उनका काम है नौकरी करना। इन्होंने इसी के लिये जन्म लिया है। आज वसी हालत में, उस स्थिति को देखकर हम चुप नहीं रह सकते हैं।

जहां तक एम्पलाएमेंट की प्रोबलम है आज एक नहीं कई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बातें आ चुकी हैं कि जो शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं वही आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़े हैं। अगर आज फुल एम्पलायमेंट हो जाए तो रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। फुल एम्पलायमेंट होने के बाद हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। मगर फुल एम्प्लायमेंट मैं समझता हूं शायद आने वाले 50 वर्षों में भी नहीं होगी। इंगलैंड जैसे देश में जहां फुल एम्पलायमेंट है, वहां बेकारी की समस्या है तो हिन्दुस्तान में तो फुल एम्पलायमेंट का सवाल ही नहीं उठता। जब तक फुल एम्पलायमेंट नहीं होगी तब तक के लिये हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे हम उनको ऊपर उठा सकें। बाबू जगजीवनराम का भी हमने व्यक्तव्य पढ़ा है। उन्होंने कहा है कि जाब का राशन किया जाय। हर परिवार में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा रहे जो सरकारी नौकरी में रहे। लेकिन आज क्या वह स्थिति आने दी जायेगी? वह स्थिति नहीं आने दी जायेगी। इसलिये नहीं आने दी जायेगी कि ऊपर की सोसाइटी में बैठे हुए लोग हैं, वे चाहते हैं, उनके यहां के सब के सब लोग अच्छी नौकरी में जायें। वे सभी अच्छी जगह पर चले जायेंगे तो नीचे के लोग कहां से ऊपर आ सकेंगे। वर्ल्ड हिस्टोरियन "टाइनबी" ने कहा अपने इतिहास में कि जिस समाज में नीचे की स्थिति वालों को आरक्षण देकर, या संरक्षण देकर ऊपर उठाया नहीं जायेगा वह समाज एक दिन रसातल को चला जायेगा। इसका उदाहरण उन्होंने कई देशों में दिया है। मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं, कि आज जो नीचे के तबके के लोग हैं, उनको ऊपर उठाने के लिये आपको समता का भाव रखना होगा। उनका हाथ पकड़कर ऊपर उठाना होगा और नहीं तो अगर आप शोषण को कम करेंगे तो यह चल नहीं सकता है। यह कोई सरकारी नौकरी में ही नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टियों में भी होती है। राजनीतिक पार्टी में जो टिकट दी जाती है तो देखा जाता है कि यह कौन जाति का है। खास जाति वालों को ही टिकट मिलनी चाहिये। उसमें भी देखा जायेगा कि ऊंची जाति के लोग ज्यादा संख्या में आयें और नीची जाति के लोग कम से कम संख्या में आयें। जब मंत्री बनाने की बात आती है तो देखा जाता है कौन जाति का है। किसी खास जाति का ही मंत्री बनाओ। इसीलिये खास-खास जाति के मंत्रियों की संख्या ज्यादा होती है और बाकी लोगों को एक-एक की संख्या रख दी जाती है। उनसे कहा जाता है कि तुम्हारा भी एक आदमी आ गया है। हरिजन का आदमी आ गया है, बैकवर्ड का एक आदमी आ गया है, लेकिन आप फारवर्ड लोगों की बात

[श्री रामलखन प्रसाद गुप्त]

मत करो। अगर कोई बात करता है तो कहा जाता है कि यह जात-पांत की बात करता है। अपने हक के लिये कोई बोलेगा तो कहा जाता है कि यह जात-पांत की बात करता है। पुराने लोग जो यथास्थिति को कायम रखे हुए हैं, कहते हैं कि कितना अमन-चैन है, कितनी शांति बनी हुई है। फलां आदमी तो जात-पांत की बात करता है। यह बेवकूफ बनाने की बात है। अब समाज बेवकूफ बनकर नहीं रह सकता। इसलिये आज सरकार की राजनीतिक पार्टियों को, सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं को और हम सब को भी इस ओर अपना ध्यान खींचना होगा और सोचना होगा, अपने आपको बदलना होगा। यहां जात-पांत और आगे पीछे की बात नहीं चलेगी। आज विकास का जितना भी लाभ मिल रहा है, समूचे समाज का 20 प्रतिशत लोग ही विकास का लाभ उठा रहे हैं। चाहे रेल हो, हवाई जहाज हो, चाहे राशन हो, चीनी हो, सीमेंट हो, वह 20 परसेंट ही लाभ उठा रहा है। वास्तव में पूर्ण तो लाभ पांच परसेंट को ही मिल रहा है और 95 परसेंट पिछड़ा हुआ है। इस दृष्टि से देश में हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं इन शब्दों के साथ श्री सुरेन्द्र मोहन जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

SHRI BISWA GOSWAMI (Assam): Mr. Vice-Chairman, Sir, I support the Resolution moved by my colleage, Shri Surendra Mohon.

Sir, the Resolution has highlighted three main issues: Firtsly, the growing casteism and communalism; secondly, the structural changes in the socio-economic systems of the country; and thirdly, political decentralisation.

Sir, during the freedom struggle, under the leadership of Mahatma Gandhi, we pledged ourselves to the task of abolishing casteism and communalism. We also pledged ourselves to the task of ending economic exploitation and also to the task of introducing political and economic decentralisation. But, after the attainment of the freedom of the country, the ruling party has conveniently forgotten all those noble ideals. They have moved away. They have come far and far away, year after year, from those noble ideals. Whatever may be written in the Constitution, whatever may be their profession in public speeches, actually it is the ruling party which is encouraging casteism and communalism in this country. We are not sincere to abolish casteism and communalism Very often, in order to gain political power, we encourage casteism and communalism, and that is why we have seen that when there is untold repression and killing of the Harijans in the country, the Government has not done anything even to detain the culprits and to punish them accordingly. What is more, Sir, even the Administration today is caste-ridden. the achievement of Freedom, we have not done anything to abolish this social cancer of our society. After the achievement of Freedom, we have forgotten our duties towards the weaker sections of the society. We do not seem to be concerned whether untouchability has been removed or not. But during the freedom struggle we were very much concerned about this and we tried our utmost to remove untouchability.

Sir, today so far as the change in the social and economic structure is concerned, the policy of the ruling party has been to maintain the *status quo*. They are not for any change of the social and economic structure of the society. Sir, in the past we talked about mixed economy, but gradually we are moving towards *laissez-faire* economy, particularly after the loan that we have taken

from IMF, I believe, there are already instructions of the IMF, and we are gradually moving towards *laissez-faire* economy. We are today talking about increasing our production. Sir, it is a capitalistic slogan. If we do not talk of equitable distribution of whatever is produced, then this slogan of increasing production will not succeed, because if the unemployment problem is not solved, if the purchasing power of the people is not increased, then this will have no meaning. Therefore, it is self-defeating. So the Government is not in favour of bringing any structural change of the social and economic system of the country. Therefore, we have seen today that the poor are becoming poorer and the rich are becoming richer day by day. The other day our friend, Shri Hegde, quoted extensively from the Government records that the top-most few only have derived all the benefits of the development of the country. Sir, the social problem is also interconnected with the economic problem of the country. If economic exploitation is not removed, social exploitation also cannot be removed. So, we should have a comprehensive scheme, before us for bringing in a total and radical structural change of the existing social and economic system of this country. Unless we do that, it is futile to talk about social justice; it is futile to talk of removal of untouchability.

Sir, the entire economic policy of the Government is to help the rich. Therefore, the rich are deriving the entire benefit of the development of this country. Regarding the decentralisation of power, it is needless to say that the present ruling party is not for decentralisation of political power. They are for centralisation of political power and that is why the ruling party is trying to destroy all the democratic institutions in the country. They are not even in favour of keeping the parliamentary system of Government going. That is why they want to undermine the judiciary. They want to put all power in one individual. The President of the country once spoke about devolution of political power in a statement. He was criticised and there was a strong reaction to his statement. I think the President rightly said so. The political power should be decentralised not only to the State level, but to the Panchayat level also. But the present Government is not willing to decentralise political power.

The present socio-economic problems are the creation of the ruling party. The present political problems are also their creation. Therefore, what is the day out? It will not be enough to accept the resolution because everybody will accept in theory that untouchability should be removed and that there should be equality. Unless it is implemented and practical steps are taken to remove these inequalities, it will lead us nowhere. If the Government is unwilling, I need not say that people will one day revolt against this injustice. I need not say that revolution is coming very soon because the economic burden on the poor has increased in such a manner that they are not going to tolerate any longer this type of exploitation. If we are sincere to remove the social and economic inequalities in the present society, then we have to adapt our policy differently. We have not tried to create new values in our country. Our education system has not come up to the mark in order to create a situation in which this communalism and casteism cannot grow or at least are not encouraged. If the Government is sincere to have a new socio-economic structure of the society, they must make all-our effort for that. They should create conditions in which social and economic exploitation cannot exist. Therefore, while supporting the Resolution, I would urge upon the Government to ponder over the matter deeply because the direction in which we are moving and the way in which our economic

[Shri Biswa Goswami]

policies are being adopted by the Government, will lead the country to political and economic catastrophy. It will not usher in any good to the country. We are talking about 20-point programmes. These 20-point programmes will lead us nowhere unless and until fundamental changes, drastic changes are made in the political and economic system of our country.

Lastly, Sir, once again I would say that if the Government does not come forward, the exploited people, the downtrodden people, the weaker sections of the society will surely one day rise in revolt, and I believe that is the only way by which the socio-economic exploitation can be removed, and that is the only way by which we can build up a society of Gandhiji's dream for which we all struggled. Unfortunately, the Congress of today no longer believes those ideals of the Congress during the freedom struggle.

With these words, Sir, I once again support the Resolution moved by Shri Surendra Mohan.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): Sir, I am thankful to the hon. Members who have taken part in this discussion, namely Shri Surendra Mohan, who has initiated this discussion, Shri Pandey, Shri Nanda, Shri Arabinda Ghosh, Shri Meena, Shri Bagaitkar, Shri Patel, Shri Ram Lakhan Prasad Gupta, and my friend, Shri Biswa Goswami.

Sir, in fact, there could not be any disagreement so far as the objectives in the operative part of the Resolution is concerned, that is, to evolve concrete steps for fostering liberalism, uplifting the downtrodden, establishing Panchayat Raj, bringing down income ratio to a certain level. At the outset, I must say that we are agreeable to these things. In fact, this Government, under the able leadership of our leader are moving fast in this direction ever since we have adopted our Constitution. Our planning is to achieve these ideals as fast as possible. But the suggestion in this Resolution is that we should adopt concrete steps now and that we are not moving in this direction. We object to this insinuation. In fact, the fundamental of our national life is unity in diversity, freedom of religion, secularism, equality, justice—social, economic and political, and fraternity among all countries. Our Constitution makes specific provisions to guarantee this basic concept of ours. I think, some hon. Members have mentioned it and Mr. Nanda has also referred to it that all these things are enshrined in our Constitution. Sir, Article 15(1) of our Constitution prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex and place of birth. Untouchability which is considered to be the most prominent evil of the caste system must be abolished. As members of this great country, we are all ashamed of it. This has to be abolished from the society. The untouchability which is considered to be the most prominent evil of the caste system has also been abolished under Article 17 of the Constitution. Having regard to the special needs of weaker sections of the society, particularly the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other backward classes, specially in regard to education and employment facilities, special provisions have already been made in the Constitution. I am referring to Article 15(4) and 16(4) which enable the States to provide special facilities to these classes of people Sir, the various provisions of the Constitution thus provide for the removal of caste distinctions. Sir, in this regard the Government have taken various steps. I will only illustrate some of them. The Government of India have taken a number of measures, for example, in the census enumerations. Since 1951 no

entry about the caste is made in the records except in the case of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes where it might be necessary for administrative reasons or to meet some statutory obligations. A law has been passed by which registration of documents is to be made without any reference to the caste of the parties concerned. Secondly, Sir, the Government have already examined the question of abolition of references to caste and sub-caste in all matters connected with the State or its services and have come to the conclusion that references to caste or sub-caste in the various forms and registers used in jail, polie, education, services and other departments and also in judicial proceedings can be eliminated except where it is absolutely necessary for administrative reasons or for the fulfilment of statutory obligations. Sir, furthermore, the State Governments have been requested to remodel forms etc. accordingly. It has also been suggested to them that the census questionnaire might serve as a model for the purpose. As the hon. Members know, we have already the Protection of Civil Rights Act, 1955, with us which was passed with a view to enlarging the scope of the legislation and making this provision more stringent. Then, again, the legislative and executive measures pertaining to status of women, land reforms, indebtedness, alienation of land, reduction in inequalities of income, equalisation of opportunities, expansion of employment opportunities etc. have been undertaken with the aim of reconstruction of the social order and raising the social and economic status of all classes of people, particularly the under-privileged. Further. Sir, the basic approach to development planning has been to evolve a socialistic pattern of society to achieve a casteless and classless society. Further, the National Integration Council and its committees, particularly its committee on Communal and Caste Harmony provides a national levle forum to mobilise public opinion regarding all these factors, and is aimed at focussing the attention of the public and voluntary agencies on the welfare aspect of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other weaker sections of the society.

Sir, from all this it would be seen that these measures have been contemplated and steps taken to achieve the above objectives. The Government is not only conscious of the evils of the caste system, but its policies and programmes are also directed towards lessening the effects of this system in such a manner that the sufferings of under-privileged sections are mitigated without creating any serious friction in the social order.

Sir, what is really needed is a change in the mental attitude of the people against this problem. All parties and people, irrespective of caste or creed, must work together to bring about an atmosphere where the evils of caste system may be eliminated. So, Sir, to say that the Government is not moving in this direction is not correct. We are taking various steps in this regard as the spirit behind this Resolution says. In this regard while initiating the discussion, Shri Surendra Mohan said that we have decided to move away from the Gandhian path. This is what he was telling when he was speaking. And also he said about our moving away from the path of economic equality and this is creating social and economic tensions. Sir, in this connection I would like to say that the Government and our party, to which I belong, that is, Congress-I have never moved away from the Gandhian path. It is our aim and ambition to follow this path and to achieve our goal under these guidelines. The Government and our party never lost sight of the goal of socialism and socialistic pattern of society. We are committed to the policy of raising the standard of living of the vast 44 per cent of our popula-

[Shri Nihar Ranjan Laskar]

tion who are still living below poverty line. In this regard we have taken several steps, like, special component plans have been framed for the betterment of the Scheduled Castes and Tribes; special plans have been put into operation for economic and social upliftment of this tribal population. While we are making all efforts to raise all castes and communities above this level of economic standard, there are certain groups in the society—I must say here—and some political parties which are thriving on creating tensions on the lines of castes, religions and communities. So, I would like to appeal to all those that, this is not only our commitment as a party, but as a nation, and they should come forward and reorient themselves to the principles of equality and justice enshrined in our Constitution and extend their co-operation in realising our goal of socialistic society.

My friend, Mr. Pandey—I thank him very much—repudiated everything that Mr. Surendra Mohan said, and Mr. Pandey stated as to what our aim is and how we are proceeding in that direction. He has ably discussed how this Panchayat system is operating effectively in rural areas. In fact, Sir, we have given more and more powers to the Panchayats, and our planning is also not from the top; it is coming from the bottom. We are concentrating on bringing up the Panchayat system from the lowest levels and from there we are getting our ideas, and that is why we are giving more powers to Panchayats.

The Indian Constitution has given the lead to all of us for concerted efforts to remove poverty, to help our poor brethren and create a socialistic society. We also appeal to all friends to the political leaders to whichever school of thought they belong, to set their differences at rest and help in removing all distinctions and disabilities. In this, I also appeal to all my friends to come forward and help us. If we get their co-operation, naturally the process will be hastened.

My friend Mr. Nanda rightly said that many of these things are already enshrined in our Constitution. Only thing he said was that there is lack of political will or leadership. But he should not forget that we are fortunate enough to have a leader like Mrs. Indira Gandhi who has not only established her leadership in this country but the world as a whole has recognised her leadership. To deny her and to say that we have no leadership in the country, is something which I did not expect from my friend. Sir, our Prime Minister is really a great leader and she can inspire and she is inspiring the people in our country in bringing about a socialistic pattern of society, through this twenty-point programme. I will come to the details of this twenty-point programme later on. I will say, in short, it seeks to bring about a multi-faceted peaceful revolution in our society. Mr. Bagaitkar—he is not here—has been criticising this twenty-point programme and his whole speech has been moving round this point. He said that this programme is there only in name and that nothing is there in this programme. I would like to say that the concrete steps have been taken under this programme. Sir, as you know, this programme was announced on 14-1-82. By this programme, the Government has resolved to fulfil several tragets in our social and economic life. This whole programme is focussed on our less fortunate brethren. Even a casual reading of this twenty-point programme would show that this programme is intended to help the rural poor by strengthening and expanding the coverage of integrated rural development. This is the first point. Then, there are other points like the national rural employment programme, implementation of agricultural land ceilings, distribution of surplus land and complete compilation of land records. These

things have been mentioned in this programme. If we can implement them, naturally, this will benefit the downtrodden people in our country. Included in this programme are also measures like, review and effective enforcement of minimum wages for agricultural labour, accelerated programme for development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes—this has been specifically mentioned in item number seven—rehabilitation of bonded labour, provision of house sites and drinking water in rural areas, improvement of the environment of slums, implementation of house-building programmes for economically weaker sections; accelerated programme for the welfare of women and children specially in tribal, hilly and backward areas, liberalised investment procedures and also to give handicrafts, handlooms, small and village industries all facilities to grow and to update their technology and so on. I have mentioned some of these things only to show that if this programme can be implemented in right earnest, this will naturally benefit our rural people.

My friend, Mr. Ghosh, has not made any specific suggestion in regard to this Resolution. He has not come forward with any concrete steps in this direction for achieving the objectives of this Resolution. I would like to tell my hon. friends that in our country, elections are held as per the procedure applicable to all, giving opportunities to all eligible voters to elect and be elected. In regard to the Panchayat institutions, I have already mentioned that they have their roots in the rural areas and they are doing good work. Mr. Gupta, I think, has raised the same point that the Congress(I) has no intention of implementing this twenty-point programme. I have already mentioned that we are going ahead vigorously with the implementation of this programme and we want to achieve results through this programme. He has made one suggestion to us that we should be above caste considerations in our political decisions and that we should help the downtrodden people to come up economically. As I have been telling the House all along, our first aim and our first priority, as a Government and as a Party, is to uplift the economically and specially weaker sections of our country. This Government is committed to secular approach and outlook and there should be no apprehensions in this regard. The Government will see to it that there are no caste conflicts or anything like that. We are watching the situation and we are taking all steps in this direction. I have already said that there could not be any objection to the idea of this Resolution, but the objection is to the way in which he has put it. We have already taken measures and, therefore, there is no need to have the Resolution passed like this. I would, therefore, request my friend to withdraw the Resolution because we are already committed and are doing everything in this direction.

SHRI SURENDRA MOHAN: Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to ask the hon. Minister a few questions. I have heard him giving all the statistics and the policy statements which are rehashed, if you forgive me saying so, of whatever was written in the Constitution, but I would like to request him to kindly tell us whether, in his opinion, the number of incidents relating to atrocities on the weakers sections have gone down or have gone up during these years; whether there are a larger sections of people below the poverty line now than ever before and then I referred to the optimism of the Planning Commission also. I would like to know whether the number of those who are now landless, percentage-wise and in absolute figures, is less or it has grown. If the hon. Minister feels that in all these cases there has been progress, that the number of landless has gone down, that the number of

[Shri Surendra Mohan]

unemployed has gone down, that the number of atrocities has gone down, that the number of those below the poverty line has gone down and not gone up, then I would submit that the reports of the Government, reports of various independent institutions also would contradict such an assertion. It is, therefore. in this sense that I would once again submit to the Minister that there is an urgent need to evolve concrete policies and there is an urgent need for the Government to enlist—support of the largest possible sections of the society, including political parties, trade unions and other organisations. It is in this sense that I would once again request him to accept the Resolution. As I understood, whatever he said in his speech shows that he has nothing against the Resolution. He could have, therefore, ended his speech by saying that he has accepted the Resolution.

I would once again request him to accept the Resolution.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): He has requested you to withdraw the Resolution.

SHRI SURENDRA MOHAN: I am not withdrawing because I believe that it is urgently necessary, that some concrete steps be taken and I have pointed out all the facts about the negative aspects of our society, including atrocities, communal violence, social violence etc. They are all on the increase. Therefore, I would suggest that since there is an urgent need to evolve such policies, he should accept the Resolution on behalf of the Government because there is nothing to which he has objected as far as the text of the Resolution is concerned.

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: I have already said that we are doing everything and there is no need for such a Resolution.

DR. MALCOLM S. ADISESHIAH (Nominated): May I raise a procedural question? My question is to ask you whether there is any procedure by which people in this House are not forced to vote against a Resolution which all have said is in principle unexceptionable because it is contained in the Constitution. Is there any procedural process by which we are not asked to vote on the Preamble which we have already accepted, which is in the Constitution and in the Sixth Plan? This seems to be procedural and the House will be placed in a very difficult position to vote against this Resolution, including the Preamble. I would like to know whether procedurally there could be some division.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): So far as the point raised by Dr. Adiseshiah is concerned, the Resolution is a resolution as a whole and, therefore, I don't think I am entitled to put it part by part and ask the opinion of the House.

Anyway, I will leave it to Mr. Surendra Mohan whether in view of what he has said, it would be desirable to go in for a voting, because the hon. Minister has accepted in spirit, the spirit of his Resolution. So taking into account his acceptance, he better withdraw it so that the House is not compelled to vote on it.

SHRI SURENDRA MOHAN: Mr. Vice-Chairman, let the hon. Minister say that he accepts the spirit of the Resolution.

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: At the beginning, I have said that there could not be any objection in spirit to accept this. To some part of it, we are not agreeable like we are not doing anything and that sort of statements.

SHRI NARSINGH NARAIN PANDEY: Sir, the purpose of this Resolution moved by Shri Surendra Mohan

was that threadbare the Resolution in all its perspective should be discussed. And it has been discussed in the House and the House has given its views on the Resolution. Now there is no point in pressing it. I request Shri Surendra Mohan not to press it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I think you will agree to that.

SHRI SURENDRA MOHAN: In view of the fact that the hon. Minister says that he accepts the spirit of the Resolution, I am not pressing it.

The Resolution* was, by leave, withdrawn.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): The House stands adjourned to reasemble on Monday, the 15th March, 1982, at 11 A.M.

The House then adjourned at fifty-eight minutes past four of the clock till eleven of the clock on Monday, the 15th March, 1982.

---

*For the text of the Resolution vide cols. 194-95 supra.